Dainik Jagran 08 April 2016

वेतनों पर जा रहा 47 फीसद राजस्व

राज्य ब्यूरो, शिमला : राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को कम नहीं कर पाई हैं। राजस्व की प्राप्तियों से सरकार 47 प्रतिशत से अधिक का भुगतान अपने मुलाजिमों के वेतन एवं मजदूरियों पर खर्च करती रही है और बीते वित्त वर्ष में यह बोझ सरकार पर बढ़ कर 548 करोड़ रुपये हो गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लोक उपक्रमों के प्रतिवेदन को वीरवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में पेश किया। कैग रपट में सरकार की खामियों को भी उजागर करते हुए कैग ने भवें तेरी हैं कि सरकार की देनदारियां वर्ष 2014-15 के अंत में बीते वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़कर 13 प्रतिशत हो गई है। कुल

- कैग ने राजकोषीय घाटे पर सरकार को लपेटा
- कैग रपट हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश
- कर्मचारियों के वेतन पर जा रहा 47 प्रतिशत राजस्व
- सरकार पर हुआ 548 करोड़ रुपये का बोझ
- पिछले वर्ष के मुकाबले तेरह फीसद बढ़ी देनदारियां

यह रहा घाटा

2013-14 : 16.41 एवं 4011 करोड़
2014-15 : 1944 करोड़ और 4200 करोड़

संबंधित समाचार -पेज पांच पर

लोक ऋणों में बाजार ऋणों का अंश करीब साठ फीसद हो गया हैं। आगामी तथा उससे अगले वित्त वर्ष के दौरान 14 प्रतिशत बकाया ऋणों का विशेष दवाब सरकार पर बढ़ सकता है। बीते पांच

■शेष पृष्ठ 11 पर

वैट पर सरकार सुस्त

- मूल्य वर्धित कर के निर्धारण में देर होने से वैट वसूली के बकाया मामले 91 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।
- समय पर रिटर्न फाइल न करने से सरकार 38.56 करोड़ की वसूली नहीं कर पाई।
- सरकार के संबधित विभाग में न कोई रजिस्टर बनाया गया है न कोई डाटा बेस तैयार किया है।
- मूल्य वर्धित कर नियमावली में माल नियमावली का प्रावधान नहीं है।
- कुछ बातों के अनियमित अनुमोदन से सरकार को दुकानदारों से करोड़ों का नुकसान हुआ।
- कुल बिक्री कर गलत निर्धारण किया। कर की गलत दर लागू करने से 1.94 करोड़ कम वसूले।
- 2013-14 में करीब 800 केंद्रों ने प्रूफ लीटर शराब कम उठाने के लिए अतिरिक्त फीस ही नहीं मांगी। 3.24 करोड़ की चपत।

वेतनों पर जा ...

सालों के दौरान निगमों, ग्रामीण बैंकों एवं स्टॉक कंपनियों में सरकारी निवेशों पर औसत प्रतिफल 3.81 फीसद था जबकि सरकार ने इस अवधि में अपने उधारों पर 7.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया हैं। आलम ये है कि सरकार खजाने पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है।

Dainik Jagran 08 April 2016

सार्वजनिक उपक्रमों के बुरे हाल

कैग का निशाना

- घाटे में हैं 10 उपक्रम
- सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश पर जोर

बिजली बोर्ड को झटका

स्कूलों में स्टाफ कम, परीक्षा परिणाम खराब

सरकार ठेकेदारों पर मेहरबान

13 अधूरे प्रोजेक्टों को बता दिया पूरा

- आईपीएच विभाग ने सामान खरीदने के नाम पर ट्रेजरी से साढ़े 18 करोड़ रुपये निकाले
- वास्तविक सूचना नहीं दे पाया विभाग, कैग ने पकड़ा मामला

पटवारियों के गलत प्रतिवेदन

फर्म को दिया अनुचित लाभ

एचआरटीसी का कारनामा

वन विकास निगम ने तोड़े सारे नियम

- दुर्गम क्षेत्रों में गले सड़े पेड़ों पर रॉयल्टी देने से 1.52 करोड़ रुपये का घाटा
- लकड़ी की निकासी कार्य का ठेकेदारों से नहीं वसूला बढ़ोतरी शुल्क

सही नहीं लकड़ी की ग्रेडिंग

किसानों के पैसे कोषागार में जमा करवाना भूला कृषि विभाग

बिना गृह सर्वे बना दीं जनहित योजनाएं

- स्वास्थ्य मिशन निदेशक के पास बिना खर्च के पड़ा है 19 से 47 फीसद धन
- सरकार घर द्वार तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में नाकाम

19 स्थानों पर टेलीमेडिसिन परियोजना निष्क्रिय

Dainik Jagran 10 April 2016

केंद्र के पैसे स्वास्थ्य विभाग की कुंडली

- जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे पहाड़ के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ा
- ऐसे जिलों को पैसे जारी किया जिनके लिए योजना ही नहीं बनी

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल में जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सरकार ने पहाड़ जैसा दर्द सहने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कैंसर, मधुमेह, दिल और स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के मर्ज पर मरहम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर किसी की नहीं सुनते। अफसरों में सुस्ती का आलम इस कदर हावी है कि भारत सरकार से करोड़ों रुपये की ग्रांट तक ऐसे मरीजों के दर्द को हरने के लिए दी गई, लेकिन विभाग आधे से भी अधिक पैसों पर कुंडली मारे बैठा रहा। दूसरी ओर ऐसे जिलों को पैसे जारी कर दिए जिसके लिए कोई योजना बनी ही नहीं थी। विभाग मनमर्जी पर चला और पैसे देने वालों यानी केंद्र को एक बार भी नही पूछा। जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल को 80 व 20 फीसद के अनुपात में ग्रांट कार्यक्रम लागू करने के लिए दी थी। हैरानी की बात है कि यह कार्यक्रम दो साल तक शुरू ही नहीं किया गया।

जवाब-पहाड़ में छह माह बर्फ के कारण खर्च नहीं हुए पैसे

अपने ऊपर कैग की दृष्टि पड़ते देख स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने हवाला दिया कि जानलेवा बीमारियों के लिए केंद्र ने नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रीवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ केंसर, डायबटिस, कॉर्डियो वेस्कूलर डिजीज एंड स्ट्रोक के लिए करोड़ो रुपये दिए थे। हालांकि जिन जिलों को पायलेट प्रोजेक्ट बतौर चयनित किया था वहां छह माह बर्फ ही पड़ी रहती हैं। चंबा के दो खंड, लाहुल-स्पीति, किन्नौर साल के छह माह तक बर्फ से ढके रहते हैं। इस जवाब से कैग के अधिकारी संतुष्ट नहीं दिखे। तर्क यह कि पैसा दो से तीन साल तक बिना खर्च के रखा गया। दिसंबर 2010 में केंद्र ने ऐसी बीमारियों के मरीजों से बचाव के लिए पैसे दिए थे।

कैग ने इसलिए तरेंरी भवें

- केंद्र ने 12.1 करोड़ रुपये वर्ष 2010-2013 के बीच जारी किए। राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 में 1.82 करोड़ की बजाय 1.20 करोड़ रुपये ही जारी किए।
- यह योजना दो साल बाद देरी से 2012-वित्त वर्ष में शुरू की। ऊपर से 14 प्रतिशत पैसा ही विभाग खर्च पाया, यानी 1.82 करोड़ पायलेट जिलों के लिए जारी किए। 1.44 करोड़ नान पायलेट जिलों के लिए जारी कर दिए। यह नहीं जो राशि करोड़ों रुपये की शेष बची, उसमें से बीते वर्ष के मार्च तक करीब साढ़े 11 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए गए।
- इन बीमारियों की रोकथाम के लिए जो बैठकें हर चार माह बाद होनी थी उनमें से एक भी बैठक न जिलास्तर पर हुई न ही राज्यस्तर पर।
- निगरानी और योजना के अभाव में 11.31 करोड़ रुपये का कोई लाभ जानलेवा बीमारियों से कराह रहे लोगों को नहीं मिल पाया।

Dainik Jagran
13 April 2016

कर्ज के फेर में हिमाचल की आर्थिकी

Publish Date:Wed, 13 Apr 2016 01:01 AM (IST) | Updated Date:Wed, 13 Apr 2016 01:01 AM (IST)

Adidas Ccool Black Cap for Men Online...
Rs.1,099 Get Extra Discount on Every Shopping, Try Now!
Jabong.com

Share Tweet 0 A- A+

राज्य ब्यूरो, शिमला : आर्थिक साधनों व संसाधनों की कमी झेलने वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल की वित्तीय सेहत ठीक नहीं है। विकास का मॉडल माने जाने वाले हिमाचल की आर्थिकी कर्ज के फेर में फंस गई है। प्रदेश को कर्ज की अर्थव्यवस्था से निजात दिलाने के लिए राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी के मकसद से बेहतर तंत्र विकसित करने की दरकार है।

राजस्व प्राप्तियों में इजाफा न होने की स्थिति में अगले साल तक स्थिति प्रदेश सरकार के हाथ से निकल जाएगी। आलम यह है कि पुराने कर्जो के भुगतान के लिए सरकार नए ऋण ले रही है। ऋण राशि का 76 फीसद हिस्सा पुराने कर्जो के भुगतान पर खर्च किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी ने इस स्थिति को भयावह करार दिया। उन्होंने कहा कि उधार लेकर घी पीने वाली कहावत बहुत पुरानी है। चारवाक की यह उक्ति प्रदेश सरकार पर लागू हो रही है। प्रदेश करीब 38 हजार करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इन कर्जो के भुगतान के लिए सरकार नए कर्ज ले रही है। अर्थव्यवस्था को कर्ज के मकड़जाल से बाहर निकालने के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन कर राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही राजकोषीय खर्चो में इजाफा करने की भी दरकार है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक सेहत, बढ़ता राजस्व घाटा, कर्ज का जाल, वित्त प्रबंधन व आर्थिक पहलुओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने आर्थिक संसाधन नहीं बढ़ाए और लगातार कर्ज लेने की प्रवृति पर अंकुश न लगाया तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाए बगैर सरकार पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज ले रही है। वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से यह आदर्श स्थिति नहीं है। राच्य सरकार राजस्व उगाही में भी ढीली साबित हो रही है। आकड़ों के अनुसार बेशक राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तिया बढ़ी हैं लेकिन उसी अनुपात में राजस्व खर्च भी बढ़ा है। नतीजा राजस्व घाटे के तौर पर सामने आया है। यह राजस्व घाटा बढकर 1944 करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के आकड़ों पर गौर किया जाए तो राजस्व प्राप्तियां 17 हजार 843 करोड़ रुपये हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 2132 करोड़ रुपये से अधिक हैं। इनमें टैक्स रेवेन्यू के रुप में 5940 करोड़ रुपये व सेंट्रल टैक्स शेयर के तौर पर 2644 करोड़ रुपये आए हैं। केंद्र सरकार से हिमाचल को वित्तीय वर्ष 2014.15 में 7178 करोड़ रुपये अनुदान मिला है।

घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज का सहारा

प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी का चिंतनीय पहलू यह है कि राजस्व घाटे को पाटने की बजाय सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज का सहारा ले रही है। उस पर भी खतरनाक संकेत यह है कि कर्ज की रकम को लोक हितकारी योजनाओं पर खर्च न करके पुराने कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में हो रहा है। कर्ज की अर्थव्यवस्था का आलम यह है कि सरकार महंगी दरों पर बाजार से ऋण लेकर पुराने कर्ज चुका रही है। अर्थशास्त्र में इस प्रवृति को घातक माना जाता है। सरकार राजस्व प्राप्तियों का 47 फीसद हिस्सा अपने कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही है। इससे विकास योजनाओं के लिए राशि कम पड़ती है। सरकार की कुल देनदारियां सकल घरेलू उत्पाद का 40 फीसद तक पहुंच गई है। प्रदेश का राजस्व व राजकोषीय घाटा दोनों ही बढ़ रहे है।

माननीयों के वेतन बढ़ोतरी पर टिप्पणी से इन्कार

प्रधान महालेखार ने कहा कि सरकार को राजस्व वसूलियों की तरफ जोर देना होगा। उन्होंने वन निगम में ग्रेडिंग की तय प्रक्रिया को अपनाए बगैर बेची गई लकड़ी से निगम को हुई करीब 71 करोड़ की हानियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हे रोका जाना चाहिए। माननीयों के वेतन बढ़ोतरी के सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से उन्होंने इन्कार कर दिया।

Dainik Jagran
13 April 2016

सरकार ने जेपी कंपनी को पहुंचाया 209 करोड़ का फायदा

Publish Date:Wed, 13 Apr 2016 01:01 AM (IST) | Updated Date:Wed, 13 Apr 2016 01:01 AM (IST)

यह चला गया. वापस लाएं

इस विज्ञापन में क्या गलत था?

बार-बार आने वाला कोई दिलचस्पी नहीं पहले ही खरीद चुके

Google

Share Tweet 0 A- A+

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार ने खुद घाटे में रहकर जेपी कंपनी को 209 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया है। राज्य में अफसरशाही की लापरवाही से करोड़ों का घोटाला हुआ है। कड़छम वांगतू पावर प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता को लेकर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आगाह किए जाने के बावजूद अफसरशाही के हरकत में न आने के कारण स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा रायल्टी की एवज में खजाने में आने वाली इस रकम से सरकार को महरुम होना पड़ा है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है।

प्रधान महालेखाकार आरएम जोहरी ने कहा है कि सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही अब अन्य कंपनी इस परियोजना को चला रही है। कैग के पास शक्तिया है कि वह विजिलेंस में कार्रवाई के लिए निर्देश दे मगर छह महीने तक सरकार की तरफ से कोई हरकत न होने पर ही ऐसा निर्णय लिया जाएगा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की ताप ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना पर भी सवाल खड़े किए है। अब कैग की रिपोर्ट पर विधानसभा की लोक लेखा समिति चर्चा करेगी। समिति द्वारा सिफारिश करने की स्थिति में अफसर नप सकते है।

एक हजार की बजाय 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन

राज्य सरकार की नीति के तहत पांच मेगावाट से अधिक क्षमता के पावर प्रोजेक्टों को परियोजना लागत का डेढ़ प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में जमा करना होता है। इसके अलावा प्रदेश में पैदा होने वाली बिजली पर रायल्टी की एवज 12 फीसद मुफ्त बिजली मिलती है। जेपी के साथ सरकार ने वर्ष 1999 में एक हजार मेगावाट के कड़छम वांगतू पावर प्रोजेक्ट को लेकर करार किया। प्रोजेक्ट पर ७७०३ करोड़ की लागत आई। वर्ष 2011 में कड़छम वांगतू में उत्पादन शुरु हो गया। उत्पादन शुरु होने से पहले ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बताया कि कड़छम वांगतू की प्रत्येक इकाई में तीन-तीन सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस तरह एक हजार के बजाय इस प्रोजेक्ट से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता रहा। सरकार ने मामला ध्यान में आने के बाद इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने इसकी पुष्टि भी की। अलबत्ता समय पर इस प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता का पता लगाने में विभाग नाकाम रहा तथा सरकार का रायल्टी व लाडा के एवज 209 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

Jagran News

प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी ने प्रदेश सरकार द्वारा बंगाल में प्रस्तावित ताप ऊर्जा संयंत्र में 398 करोड़ तथा वन निगम में लकड़ी की गलत ग्रेडिंग की एवज में हुए करीब 71 करोड़ के नुकसान को भी इंगित किया है। उन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर ही कार्रवाई संभव है। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल के मामले में करीब 283 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान के इन मामलों में अब सभी निगाहे भविष्य में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट व बैठकों पर रहेगी।

The Times of India 08 April 2016

Apr 08 2016 : The Times of India (Chandigarh)

HP's revenue deficit increasing: CAG

Shimla
TIMES NEWS NETWORK

The revenue deficit of Himachal Pradesh increased to Rs 1,944 crore in 2014-15 from Rs 1,641 crore in the previous fiscal, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) said on Thursday.

In its report tabled in the assembly on Thursday, CAG revealed that primary deficit has reduced to Rs 1,351 crore from Rs 1,530 crore. It pointed out that maturity amount constituted an average 9.53% of the outstanding market loans over the next seven years, with significant pressure on redemption during the years 2017-18 and 2018-19 at 13.48% and 13.83% of the outstanding debt , respectively.

CAG has expressed concern on the ratio of capital expenditure to total expenditure in social and economic services which was 0.02% and 0.08% respectively during the period 2014-15. It said that average return on the government's investments in statutory corporations, rural banks and joint stock companies in five years (2010-15) was 3.81% while the government paid an average rate of interest of 7.86% on its borrowings.

Total receipts of the government for year 201415 were Rs 17,843.45 crore against Rs 15,711.08 crore in previous year. Of this, 45% was raised through tax revenue (Rs 5,940.16 crore) and non tax revenue (Rs 2081.45 crore).The balance 55% was received from the Government of India in the form of state's share of net proceeds of divisible Union taxes (Rs 2,644.17 crore) and Grants-in-Aid (Rs 7,177.67 crore).

'No VAT monitoring helps tax evasion'

Even after knowing that Value Added Tax (VAT) is an important source of revenue of the Himachal Pradesh government, no instruction was issued by the Excise and Taxation department for periodic analysis of dealers below the threshold limit of rupees eight lakh to prevent unregistered dealers avoiding registration.Bringing the functioning of the government under the scanner, the Comptroller and Auditor General (CAG) of India's report -tabled in the state assembly on Thursday -said absence of this mechanism keeps the option open for unregistered dealers to evade payment of tax, even after crossing the threshold limit.

The Times of India 10 April 2016

Apr 10 2016 : The Times of India (Chandigarh)

CAG finds faults in HP's NRHM plans

Anand Bodh

Shimla:

Picking holes in the implementation of National Rural Health Mission (NRHM) programmes in Himachal Pradesh, a report of the Comptroller and Auditor General (CAG) for the year ended 2015 has revealed that programme implementation plans during 2010-15 were prepared without considering the needs of the districts, blocks and villages. Identification of healthcare needs was inadequate, as the household survey was not conducted till March 2015. Of the total available funds, 19% to 47% were unutilised with the mission director during the five-year period, it said.

Primary objective of the scheme was to improve access of rural people to equitable, affordable, accountable and effective primary healthcare services had largely remained unfulfilled in the state.

The report, tabled in the state assembly on April 7, has further said that review underscored gaps in planning activities and financial management.

The Times of India 12 April 2016

Two cement firms in Himachal evaded tax: CAG

IANS | Apr 12, 2016, 11.30 AM IST

Top Funds for SIP
Compare & Invest in Top SIP Mutual Funds. Open your Free A/c Today!
www.myuniverse.co.in/ZipSip

700 Off -Myles Self Drive
Flat Rs700 off for first time users . Offer valid till 30-April-16 only
www.mylescars.com/Myles-Offer

Ads by Google

Shimla, April 12 (IANS) Two major cement companies in Himachal Pradesh have evaded goods tax of over Rs.59 crore, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) has said.

Audit scrutiny of records showed that Ambuja Cement at Darlaghat and J.P. Cement Himachal Plant at Bagha had evaded additional goods tax, a CAG report said.

It said the companies transported 1,66,58,437 metric tonnes (MT) of limestone and 21,33,544 MT of shale from mining areas to cement plants for manufacturing cement and clinker from April 2012 to March 2014.

Ambuja Cement and J.P. Cement were liable to pay Rs.33.74 crore and Rs.26.16 crore as additional goods tax to the government, said the report that was laid in the assembly this month.

The national auditor has taken a serious view that it was neither paid by the companies nor it was demanded by the department of industries, resulting in evasion of revenue.

On being pointed out, the assistant excise and taxation commissioner stated that authorities concerned would be directed to make compliance in this regard.

The CAG did not get reply from the state on the revenue loss till December last year.

Besides these two mega plants, the other two cement plants in Himachal Pradesh are ACC at Barmana and CCI at Rajban. Their aggregate capacity is 10.66 million tonnes.

The Times of India
12 April 2016

Apr 12 2016 : The Times of India (Chandigarh)

Health dept move caused Rs 6cr loss: CAG

Shimla
TNN

A decision of the health and family welfare department of Himachal Pradesh to exchange the building of Community Health Centre (CHC), Jawalamukhi, with a building of Shree Jawalamukhi Temple Trust gave an undue benefit of Rs 6.27 crore to the trust, the audit conducted by Comptroller and Auditor General (CAG) has found.

CAG report for the year ending March 2015 and tabled in the state assembly on April 7 this year said the land and building of CHC with a covered area of 3,620.33 square metres valuing Rs 6.06 crore was exchanged (December 2013) with the land and building of a temple trust having a covered area of 1,920 square metres worth Rs 1.26 crore.

Report said no agreement was executed specifying terms and conditions in respect of expenditure incurred on the partially completed building, balance funds with HPPWD and liability to complete the balance work of the new building.

The Times of India 13 April 2016

Apr 13 2016 : The Times of India (Chandigarh)

10 PSUs suffered Rs 470cr loss, says CAG report

Shimla:

While the appointment of chairman and vice-chairman in various state-run public sector undertakings (PSUs) by Himachal Pradesh chief minister Virbhadra Singh-led Congress government has given the opposition BJP chance to blame it for wasting public money, a report tabled by the Comptroller and Auditor General (CAG) in the state assembly recently has shown that they (PSUs) have failed to gain from such appointments. Out of 19 PSUs, 10 are running into huge losses and during 2014-15 these incurred a total loss of Rs 469.97 crore. TNN

The Times of India 14 April 2016

CAG pulls up HP on benefits to power Co

Apr 14, 2016, 01.12 AM IST

Taps Tiles Sanitaryware
Parwanoo -9816077050 Wide Range of Cheap tiles : www.nirmanghar.com
Ads by Google

Shimla: The failure of the multi-purpose projects and power department to detect capacity addition of hydropower project in time and non-levy of Rs209.28 crore on account of capacity addition charges, additional free power royalty and local area development fund has led to the extension of undue favour to the power developer – Jaiprakash Industries Limited.

A recent report by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India said that for Karcham-Wangtoo Hydro-Electric Project in Kinnaur, the company enhanced the generation capacity without the approval of the department.

Scrutiny of records between December 2013 and June 2015 of the Director of Energy showed that the state government had allotted Karcham-Wangtoo Hydro Electric Project (HEP) to Jaiprakash Industries Limited for an installed capacity of 900MW, and entered into a memorandum of understanding (MoU) with the developer in August 1993. The CAG report said that the state government signed an implementation agreement with the developer in November 1999, and the Central Electricity Authority (CEA) had accorded techno-economic clearance of the project in March 2003 for an installed capacity of 1,000MW (four generating units of 250MW each). The project was commissioned for commercial operation in May 2011 at a cost of Rs6,903 crore and 1,48,983.67 lakh units energy was generated upto March 2015.

The report said that in the meantime, the CEA in March 2011 had brought to the notice of the state government that the turbine of each generating unit procured by the developer had been designed for 300MW normal continuous output, thereby making a total capacity of the project as 1,200MW, which was 20 per cent more than the rated output of the machine. Based on the observations of the CEA, the state government in June 2012 constituted a technical committee (TC) to investigate the specific deviations in the project. The report said the department had initially failed to detect the capacity enhancement made by the developer.

The Times 18 April 2016

Apr 18 2016 : The Times of India (Chandigarh)

Himachal not tapping solar power potential, says CAG

Shimla:
TIMES NEWS NETWORK

Himachal Pradesh has not been able to tap renewable energy effectively, as the audit report of the Comptroller and Auditor General (CAG) has revealed that against the estimated solar power potential of 33,000MW (assessed by National Institute of Solar Energy), only 3.29MW had been installed in the state as of March 2015. The audit noticed that Himurja had not fixed any targets for solar power during 2012-15, and the solar power of 3.29MW capacity only had been installed in the state up to March 2015. Renewable energy (RE) has been an important component of India's energy planning process for quite some time.

The CAG report said the state government in March 2014 had framed the Himachal Pradesh Solar Power Policy under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). Himurja -with the help of Ministry of of March 2015 New and Renewable Energy (MNRE) in June 2014 -had installed solar observatories at Solan and Palampur for measurement of solar potential, but the solar power potential in the state had not been assessed by them as of August last year, when Himurja's project director KL Thakur stated that projects sanctioned by the MNRE were treated as targets. The reply did not convince CAG as specific targets were not fixed, and the solar power potential in the state had not been harnessed substantially, added the audit report, which also stated that Himurja had incurred an expenditure of Rs57.59 crore during 2012-15, against the available funds of Rs34.72 crore.

Audit report has said that of 33,000MW potential, only 3.29MW had been installed in state as of March 2015

The Times of India 22 April 2016

Apr 22 2016 : The Times of India (Chandigarh)

Education standard poor in Himachal schools: CAG

Shimla:
TIMES NEWS NETWORK

The Himachal Pradesh government's boasting of improved quality of education has been proved wrong in the recent report of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India, which clearly reveals the poor level of education in government schools, where a large percentage of students have failed in classes 10 and 12. The government has also failed to utilize funds of Rs130 crore received from the Centre, which were to be spent on education.

In Himachal Pradesh, there are a total of 15,327 government schools, among which 879 are up to class 12, 1,608 up to class 10, 2,130 up to class 8, and 10,710 up to class 5.In 2015, there were around 1,83,048 students studying in class 10, and 1,82,015 in class 12, informed the Directorate of Education. As per the CAG report, 50 per cent of students in 20% of these government schools had failed in their class 10 exams, and 14% schools had failed their class 12 exams. The class 10 results during the years 2011-15 were very poor, as 16 government schools in the state had zero results, and 232 had results of less than 25%. In class 12, 10 schools had zero result, and 48 had less than 25% results.

The CAG questioned the centrally-funded Rashtriya Madhyamik SNiksha Abhiyan (RMSA), launched in 2009, that the state could not utilize Rs129.80 crore, which is 37% of the total received funds of Rs348.47 crore. The report also pointed to the acute shortage of teachers in schools. Even though HP chief minister Virbhadra Singh considers the filling of teaching posts among his top priorities, around 5,000 posts are lying vacant in the state.As per a policy of the state government in 2010 for identifying reasons of poor results, teachers in schools responsible for less than 25% results were to be fined, but as per CAG, the department could not take any action against such teachers.

The RMSA and Sarv Shiksha Abhiyan state project director Ghanshyam Chand said he had no idea about the non-utilization of funds in RMSA, as they were still examining the matter.

The government has failed to utilize funds of Rs 130 crore received from the Centre, which were to be spent on quality education

Himachal Dastak 08 April 2016

प्रदेश सरकार की वित्तीय चाल पर कैग के सवाल

लगातार बढ़ते वेतन खर्च और घाटे पर सरकार को चेताया

राजकोषीय देनदारियां पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत अधिक

Himachal Dastak 08 April 2016

जेपी से क्यों नहीं वसूले 209 करोड़?

कैग रिपोर्ट ने कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल

आरपी नेगी। शिमला

सरकार जेपी कंपनी से किन्नौर जिले में स्थापित कड़छम-वांगतू बिजली प्रोजेक्ट से अपने हिस्से के 209 करोड़ रुपए नहीं वसूल पाई। यह सवाल कैग ने अपनी रिपोर्ट में उठाया है। इसे एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने की मंशा से कैग ने जोड़ा है, जो सरकार के लिए गंभीर आरोप है। सीएजी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर सरकार भी वसूली नहीं कर पाई। वर्ष 1993 में कड़छम-वांगतू बिजली परियोजना की क्षमता 900 मेगावाट के लिए प्रदेश सरकार ने जेपी कंपनी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए, जबकि 1999 में इसकी क्षमता 1000 मेगावाट के लिए केंद्र सरकार ने तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी।

क्षमता बढ़ाकर सरकार का हिस्सा नहीं दिया कंपनी ने

अब प्रोजेक्ट को बेचकर चली भी गई है जेपी कंपनी

जेपी कंपनी ने इस परियोजना से 2011 में 6903 करोड़ की लागत से काम शुरू किया तथा मार्च 2015 तक 148983.67 लाख यूनिट बिजली उत्पादन भी किया। इस बीच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य सरकार के ध्यान में लाया कि जेपी कंपनी द्वारा उत्पादन इकाई के लिए लगाया गया टरबाइन 300 मेगावाट निर्मित हुई है, जो कि पहले की तकनीकी आर्थिक मंजूरी से 20 प्रतिशत अधिक थी। यहां तक कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों के आधार पर राज्य सरकार ने जांच के लिए तकनीकी समिति भी गठित की। जांच में यह भी पाया गया कि परियोजना की कुल क्षमता 1200 मेगावाट निर्मित हुई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि यानी लाडा को सामान्य मुफ्त रॉयल्टी के अलावा तीन प्रतिशत की दर से एक फीसदी अतिरिक्त बिजली राज्य सरकार को दी जानी थी। यहां तक कि लाडा का पैसा परियोजना शुरू होने से पहले ही लिया जाना था। ऐसे में जाहिर है कि जेपी कंपनी ने कड़छम-वांगतू बिजली परियोजना से क्षमता से 20 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है। उल्लेखनीय है कि कड़छम-वांगतू बिजली परियोजना को जेपी कंपनी ने पिछले साल जिंदल को बेच डाला है।

Himachal Dastak 08 April 2016

कैग को स्वास्थ्य मिशन में ही मिली बीमारी

दीपिका शर्मा। शिमला

- एनएचआरएम का प्लान जिलों में सर्वे किए बिना ही बना दिया
- 19 स्थानों पर 2009 से शुरू नहीं हो पाई टेलीमेडिसन सुविधा
- ज्वालामुखी सीएचसी पर खर्च गए 6.27 करोड़ भी बेकार गए

कैग को हिमाचल के स्वास्थ्य मिशन में ही बीमारियां मिली हैं। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2010 से लेकर 15 तक हेल्थ मिशन का प्लान बिना सर्वे से ही दफ्तरों में बैठकर बनाया गया। कैग में सामने आया है कि मिशन का पीआईपी जिलों की जरूरतों को देखे बिना ही बनाया गया। रिपोर्ट में प्रदर्शित किए गए तथ्य हैरान कर देने वाले इसलिए भी हैं, क्योंकि एनआरएचएम के तहत प्रदेश को मिली कुल उपलब्ध राशि में से राज्य ने वर्ष 2010 से 15 के दौरान 19 से 47 फीसदी राशि उपयोग में ही नहीं लाई। इसमें यह राशि मिशन निदेशक के पास ही अप्रयुक्त पड़ी थी। वहीं, नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग 19 स्थानों में टेलीमेडिसन की सुविधा को शुरू ही नहीं कर पाया था। विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्वालामुखी के भवन को ज्वालामुखी मंदिर न्यास के भवन से बदलने का निर्णय भी सरकार का कैग की रिपोर्ट में गलत बताया गया है। इसमें सामने आया है कि स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय से न्यास को 6.27 करोड़ का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि स्वास्थ्य योजना में वाहनों के माध्यम से जनता को घर द्वार तक इलाज देने वाले दस वाहन मई 2015 से बेकार पड़े थे। वहीं, जनस्वास्थ्य मानक के अनुसार राज्य में डॉक्टर भी कम हैं।

कैग ने पूछा, क्यों है सरकारी स्कूलों का रिजल्ट जीरो?

- रिपोर्ट कहती है एजुकेशन स्टैंडर्ड में बहुत पीछे है हिमाचल

शिमला। कैग ने हिमाचल में शिक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट कहती है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड में हिमाचल पिछड़ रहा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में वार्षिक कार्य योजना को पाठशाला स्तर की विकासात्मक योजना का विचार किए बगैर ही तैयार कर दिया गया था। कैग ने खुलासा किया है कि वर्ष 2011 से 15 के दौरान परीक्षा परिणाम बहुत खराब निकले थे। इसमें 16 स्कूलों का परिणाम जीरो था। वहीं, 134 तथा 232 के बीच स्कूलों का रिजल्ट 25 फीसदी से कम था। इसी तरह वर्ष 2014-15 के दौरान दस स्कूलों में प्लस टू का परिणाम शून्य था, वहीं 48 स्कूलों का परिणाम 25 प्रतिशत से भी कम था। कैग की रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र में कम स्तर की स्थिति भी बयान कर रही है। प्रदेश सरकार पांच आदर्श स्कूलों के निर्माण के लिए 2010 में प्रदान किए गए 7.23 करोड़ में से 4.70 रुपए खर्च ही नहीं कर पाई। रिपोर्ट बता रही है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 348.47 करोड़ की कुल उपलब्ध राशि में से मात्र 218.67 करोड़ ही खर्च किए जा सके हैं। वहीं, मिड-डे मील के तहत स्कूलों में रसोईघर बनाने के लिए पैसा तो आया, लेकिन 430 रसोईघर नहीं बन पाए।

Himachal Dastak 08 April 2016

जानबूझकर तबाह किया जा रहा वन निगम को

कैग ने कहा, लकड़ी की नीलामी में मोटा मार्जिन कमा रहे बोलीदाता

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

- रॉयल्टी की अदायगी समय पर न करने से करोड़ों ब्याज भर रहा निगम
- कैग ने रिपोर्ट में उठाया सवाल, पिछले चार साल से ही क्यों है घाटा?

करोड़ों के घाटे में चल रहा राज्य वन निगम नियमों की धज्जियां उड़ाने में भी माहिर है। अधिकारियों की मनमर्जी की तूती यहां इस कदर बोलती है कि दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी जगह लॉट्स लिए गए, जिसमें रॉयल्टी पर ब्याज, विस्तार फीस तथा गले-सड़े पेड़ों पर दी गई। इससे निगम को 1.52 करोड़ का घाटा हुआ। कैग ने यह चूक सामने लाई है। कैग ने वीरवार को विधानसभा में रखी रिपोर्ट में कहा है कि बीते चार साल से वन निगम घाटे में चल रहा है। वर्ष 2010-11 में 31.66 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में इसका घाटा 52.75 करोड़ हो गया है। दूसरी ओर आलम यह है कि लकड़ी की निकासी के काम को निर्धारित अवधि के बाद चार से आठ साल बीत गए तब भी ठेकेदारों से वसूली शुल्क तक नहीं वसूला गया है। निगम द्वारा दी रॉयल्टी पर ब्याज हानि के कारण 1.28 करोड़ का चूना लग गया है। लकड़ी की गुणवत्ता में गिरावट लगातार आ रही है और निगम के अधिकारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी पर तुले हैं। निगम के अधिकारियों ने रॉयल्टी अदायगी में भी सुस्ती बरती है। बीते पांच साल के दौरान निर्धारित तिथियों में रॉयल्टी की किस्तों की अदायगी न कर पाने के कारण निगम द्वारा वन विभाग को ब्याज के रूप में करीब सात करोड़ की अदायगी करनी पड़ी है। यह सीधी सेंध सरकारी खजाने को लगी है। बीते पांच साल के दौरान बाजार दरों की तुलना में लकड़ी की नीलामी की दरों में साठ से 105 प्रतिशत का अंतर यह बताता है कि निगम नीलामी में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं कर रहा है। बोलीदाता सीमित प्रतिस्पर्धा या उत्पादक संघ के गठन के कारण अत्यधिक मार्जिन बटोर रहे हैं। कैग ने सुझाव दिए हैं कि यदि बिक्री दरों को व्यापक प्रचार के माध्यम से वसूल करने के प्रयास किए जाते तो केवल देवदार की बिक्री से ही निगम को लगभग 18 करोड़ की अतिरिक्त आय मिल सकती थी।

Himachal Dastak 08 April 2016

किसानों को बिजाई के बाद बांटे 9.39 करोड़ के बीज

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

- कैग रिपोर्ट में हुआ कृषि विभाग की लापरवाही का खुलासा
- कृषि निदेशक का तर्क वर्षा आधारित सेटअप में यह चूक नहीं

हिमाचल में किसानों को बांटे जा रहे बीजों ने सरकार के किसान हितैषी होने के दावे की पोल खोल दी है। कृषि प्रधान राज्य में यह हालत है कि कृषि विभाग की ओर से किसानों को बिजाई के बाद बीज उपलब्ध करवाए जा रहे है। इसका खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है। इसके मुताबिक वर्ष 2010 से वर्ष 2015 के दौरान किसानों को बिजाई का मौसम बीत जाने के बाद 9.39 करोड़ के बीज वितरित किए गए। इसमें 28,909.63 क्विंटल गेहूं का बीज, जबकि मक्का का 4101.47 क्विंटल बीज किसानों को बिजाई के मौसम बीतने के बाद 1 से 135 दिनों की देरी से बांटा गया। इस तरह से मक्का और गेहूं का कुल 33011.10 क्विंटल बीज बिजाई के मौसम के बाद बांटा गया है। किसानों को मक्का का बीज खरीफ सीजन में बांटा जाता है, जबकि रबी के सीजन में गेहूं का बीज वितरित किया जाता है। देरी से बीज बांटने के कारण बिजाई में भी विलंब हुआ, जिस कारण दोनों ही सीजनों में इसका असर फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता था। हालांकि कृषि विभाग के निदेशक का तर्क था कि जिलों में करीब 80 फीसदी क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। इस कारण कई बार कम बारिश होने के कारण बिजाई में देरी हो जाती है। कृषि विभाग इस तर्क को कैग इत्तफाक नहीं रखती है। वजह है कि किसानों को बीज बिजाई के मौसम से पहले वितरित किए जाने चाहिए थे। ये हालत तब है, जबकि कृषि विवि पालमपुर ने गेहूं की बिजाई के लिए अक्तूबर से 15 नवंबर तक व मक्का के लिए 15 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक सामान्य बिजाई की सिफारिश की है, इसलिए हर फसल में किसानों को बीजों के वितरण का प्रबंध बिजाई का मौसम के शुरू होने से पूर्व किया जाना चाहिए था।

बेकार पड़े हैं मिल्कफेड के चिलिंग प्लांट

शिमला। मिल्कफेड के चिलिंग प्लांट बेकार पड़े हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश 2012 से 2015 में दौरान मिल्कफेड में दूध खरीदने में नौ से 18 प्रतिशत तक कमी पाई गई। दुग्ध उत्पादन में 44 प्रतिशत तक कमी आई है। सीएजी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि वर्ष 2013 से अब तक मिल्कफेड को 70 करोड़ का घाटा आंका गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2013 में 29.17 करोड़, 2014 में 22.14 तथा वर्ष 2015 में 18.92 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में नौ मिल्क चिलिंग प्लांट में निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक दुग्ध एकत्रित करने में भी भारी कमी आई है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों की मिल्क चिलिंग प्लांट मशीन बेकार पड़ रही है।

अपात्रों को पेंशन दी, पात्रों से इंतजार करवाया

शिमला। कैग की रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीमों पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें सामने आया है कि अपात्र लोगों को भी पेंशन का लाभ दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला कल्याण अधिकारी मंडी और ऊना के अभिलेखों ने यह बताया है कि वर्ष 2012 से 15 के दौरान 14.05 लाख राशि की पेंशन स्वीकृत की गई थी। इसमें आय प्रमाण पत्र प्रदान किए बगैर आठ लोगों को पेंशन दी गई। पति की मौत का प्रमाणपत्र प्राप्त किए बगैर 19 विधवाओं को पेंशन दे दी गई थी। अन्य पेंशन मामलों में तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र सत्यापित किए बगैर ही 11 लोगों को पेंशन दी। ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के बिना ही 232 लोगों को पेंशन देने के मामले कैग की रिपोर्ट में आए हैं। यह भी सामने आया है कि वर्ष 2012-15 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और कुष्ठ रोगियों के लिए आवंटित 3.14 करोड़ का प्रयोग ही नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला कल्याण अधिकारी मंडी तथा ऊना के अभिलेखों के मुताबिक वर्ष 2012-15 के दौरान 49,232 विधवा पेंशनरों को 29.67 करोड़ राशि की पेंशन पुनर्विवाह नहीं करने के प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर ही दे दी गई।

पीएमजीएसवाई की सड़कों में भी देरी

- कैग ने कहा, निर्माण लागत बढ़ने से 54.69 करोड़ का नुकसान झेला

शिमला। सड़कों के निर्माण में हो रही देरी से न सिर्फ आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि निर्माण लागत बढ़ने के कारण सरकारी खजाने को भी खूब चूना लग रहा है। इसका खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है। इसके मुताबिक पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2010 से 2015 की अवधि के दौरान प्रदेश के सभी डिवीजनों में 275 सड़कों को कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस इस बीच केवल 200 की सड़कों का कार्य पूरा हो पाया, जबकि 75 सड़कों को कार्य 48 महीने बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। विभाग की इस लापरवाही से इन सड़कों की निर्माण कार्य की लागत 54.69 करोड़ बढ़ गई है। यही नहीं रिपोर्ट में सड़क निर्माण में ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ देने के भी कई मामले सामने आए हैं।

Himachal Dastak 10 April 2016

भाषा अकादमी ने लुटाए 19 लाख

▸ कैग रिपोर्ट में खुलासा, छापी गई किताबों की कीमत भी नहीं हुई वसूल

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

[illegible]

■ नहीं हुई जनरल काउंसिल की मीटिंग, न ही बजट का अनुमोदन

[illegible]

वेतन का हुआ गलत निर्धारण

[illegible]

गैस कंपनियां नहीं मानती कानून

एक गोदाम के लिए लाइसेंस, चार गोदामों में किया जा रहा भंडारण

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

[illegible]

Himachal Dastak 10 April 2016

कैग रिपोर्ट में आरोप हुए साबित

धूमल बोले, सरकार केंद्रीय सहायता का नहीं ले पाई लाभ

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

विधानसभा में सात अप्रैल को रखी गई कैग रिपोर्ट में कई तरह के वित्तीय कुप्रबंधन सामने आने के बाद भाजपा ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

जारी प्रेस बयान में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा लगातार प्रदेश में फैल रहे भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के मामले उठा रही है, लेकिन सरकार ने कभी इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र के अंत में सरकार ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इससे भाजपा की ओर से लगाए गए आरोप प्रमाणित हुए हैं। धूमल ने कहा कि 35 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं को दी जा रही राशि को भी खर्च करने में असफल रही है। विकास कार्य न करवाए

◆ कहा, अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की, स्पष्ट करे सरकार

जाने के कारण प्रदेश सरकार ने 1648 करोड़ की राशि को सरेंडर कर दिया। इसी तरह से वित्तीय कुप्रबंधन के कारण लगातार घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम घाटा कम करने में असफल रहे हैं, इन उपक्रमों को जो राशि आय के रूप में प्राप्त होनी थी, उसे भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि वन निगम का 32 करोड़ का घाटा वर्ष 2014-15 में बढ़कर 53 करोड़ तक पहुंच गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग भी सीमेंट कंपनियों से गुड्स टैक्स के रूप में 60 करोड़ वसूलने में असफल रहा है। शिक्षा विभाग भी शिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने में 350 करोड़ की राशि का सदुपयोग नहीं कर पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की ओर से भूमि की खरीद फरोख्त पर स्टैंप ड्यूटी में सही आकलन न करने के कारण 16 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह से अन्य विभागों में हुए वित्तीय कुप्रबंधन पर भी धूमल ने सरकार को आड़े हाथों लिया।

धूमल ने कहा कि सरकार उन सभी विभागों व सरकारी उपक्रमों जिनका सीएजी रिपोर्ट में जिक्र आया है के बारे में स्थिति स्पष्ट करे। सरकार लोगों को ये भी बताए कि किस वजह से केंद्र की ओर से दी जा रही धन राशि को खर्च करने में वह असफल रही है। उन्होंने कहा है कि जनता को ये भी बताया जाए कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

Himachal Dastak 13 April 2016

आज तक दांत नहीं दिखाए कैग ने

विस की लोक लेखा समिति को रिपोर्ट सौंपना ही काम

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला

हिमाचल में कैग ने आज तक सरकारें की कार्यप्रणाली में जो चाहे कमियां निकाली हों, जो चाहे अनियमितताएं सामने लाई हों, लेकिन दांत आज तक नहीं दिखाए। राज्य के प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी ने मंगलवार को माना कि हम केवल अपनी ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा की लोक लेखा समिति को सौंपते है और वह समिति विभागों को बुलाकर ऑडिट पैरा को दूर करवाती है। उन्होंने कहा कि हालांकि कैग के पास किसी गड़बड़ी की जांच के आदेश सीधे किसी जांच एजेंसी को देने का अधिकार भी है। शेष @ पेज 2

- खुद दिए जा सकते हैं जांच के आदेश, पर दिए नहीं आज तक
- महालेखाकार आरएम जौहरी ने दोहराया वित्तीय राह मुश्किल

राज्य के प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी पत्रकारवार्ता में।

फिजूलखर्ची घटाओ और संसाधन बढ़ाओ

प्रधान महालेखाकार ने कहा कि इसलिए वित्तीय संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार राजस्व उगाही के लिए गंभीर नहीं है। यदि सरकार को आर्थिक संकट से निकलना है तो अनावश्यक खर्च पर लगाम लगानी होगी। विकास योजनाओं को समय पर पूरा करना होगा, ताकि उन पर खर्च धन निष्फल न जाए। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए आए धन का सदुपयोग करना होगा। राजस्व कलेक्शन को बढ़ाना होगा।

Page -2

आज तक...

लेकिन हिमाचल में आज तक इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। वह सालाना रिपोर्ट पर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। यह रिपोर्ट पहले ही बजट सत्र के आखिरी दिन 7 अप्रैल को विधानसभा में रखी जा चुकी है। प्रधान महालेखाकार ने माना कि हजारों करोड़ के कर्ज में डूबे छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल की आर्थिक सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। राज्य ने लोन लेकर लोन चुकाने का रास्ता चुना है, जो ठीक नहीं है। कैग ने चेताया है कि अगर समय रहते हुए वित्तीय संकट पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उन्होंने चिंता जताई कि यदि सरकार ने आर्थिक संसाधन नहीं बढ़ाए और लगातार कर्ज लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश न लगाया तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। राजस्व उगाही में भी सरकार सुस्त साबित हो रही है। आंकड़ों

Amar Ujala 13 April 2016

कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही हिमाचल सरकार

मंत्री-विधायकों की वेतन वृद्धि के बीच प्रधान महालेखाकार ने जताई चिंता, विकास के बजाय पुराने उधार और ब्याज चुकाने पर हो रहा ज्यादा खर्च

अमर उजाला ब्यूरो

लोक सेवक

राजकोषीय देनदारियां

- राजकोषीय देनदारियां वर्ष 2014-15 अंत में पिछले साल की अपेक्षा 13% बढ़कर 38,192 करोड़ हो गई। यह राशि राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 214 प्रतिशत है।
- कुल सरकारी देनदारी में मार्केट लोन का हिस्सा भी साल 2010-11 के 49.45% से बढ़कर साल 2014-15 में 59.06 प्रतिशत हो गया।

समय पर काम न होने, वसूली न करने और अदूरदर्शिता से बढ़ा बोझ

कैग रिपोर्ट ने खोली राज्य सरकार की पोल, बढ़ता जा रहा है राजस्व घाटा

प्रधान महालेखाकार आरएम जोशी।

विजिलेंस जांच की कर सकते सिफारिश

मंत्रियों, विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ोतरी के विधेयक अधिसूचित

Amar Ujala 14 April 2016

इंतजार करते रहे पात्र, अपात्रों को बांट दिया पेंशन का पैसा

कैग रिपोर्ट में खुलासा

शिमला। विधायकों की वेतन बढ़ोतरी हो या फिर उनकी पेंशन का मामला। हर मामले में उनकी समस्याओं का निवारण भी झटपट होता है और मांगों को बिना पल गंवाए मान लिया जाता है। ये जनसेवक जिस जनता की सेवा के नाम पर पेंशन और लाखों का वेतन हासिल कर रहे हैं, उस जनता का हाल बेहाल है। कैग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरह जनता के तकरीबन हर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साल 2003 के बाद की नौकरी ज्वाइन करने वालों को पेंशन न देने का प्रावधान किया गया, लेकिन समाज के जिस वर्ग की पात्रता पेंशन के लिए बनी रही, उसे भी सही समय पर पेंशन नहीं मिल सकी। कहीं विधवा पेंशन देने में धांधली हो रही है तो कहीं पात्र पेंशन पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अपात्रों को पेंशन का पैसा बांटा जा रहा है। पेंशन जारी करने में भी सरकार और सरकारी सिस्टम रुचि नहीं दिखा रहा। यह तब है, जब सरकार अपने मंत्रियों, विधायकों और सीपीएस तथा पीएस का वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए तकरीबन हर दूसरे साल विधेयक सदन में लाकर उसे पास करा रही है।

ऑडिट में खुलासा, पैंतीस लाख से साढ़े सात करोड़ रुपये तक की पेंशन राशि अधिकारियों के खातों में ही पड़ी रही

कुछ जिलों में विभागों ने बैंकों को पैसा ही ट्रांसफर नहीं कि

पेंशन बांटने में गड़बड़ी

पेंशन बांटने के लिए हुए समझौते के अनुसार विभाग को पेंशन वितरण के लिए बैंक को तीन प्रतिशत की दर से कमीशन का भुगतान करना था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ऊना जिले में 26.55 करोड़ की वास्तविक पेंशन वितरण राशि की बजाय 27.82 करोड़ की राशि 2009 जनवरी से सितंबर 2013 के बीच ट्रांसफर कर दी गई। इससे विभाग ने करीब 84 लाख बैंक को कमीशन के रूप में चुकाए। खास बात यह है कि बैंक ने साल 2014-15 में अतिरिक्त पेंशन राशि तो लौटा दी, लेकिन न तो विभाग ने गौर किया और न ही बैंक ने अतिरिक्त कमीशन के तौर पर ली राशि वापस की।

Divya Himachal 08 April 2016

कैग ने खोली पोल

रिपोर्ट में हिमाचल की वित्तीय कमजोरियों का खुलासा, सावधान रहने की चेतावनी

- विशेष संवाददाता, शिमला

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 31 मार्च, 2015 तक जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें हिमाचल की वित्तीय कमजोरियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014-15 के दौरान वेतन व बकायों पर जो खर्च किया गया है, वह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 47 फीसदी से भी ज्यादा था। चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय 548 करोड़ बढ़ गया।

राज्य सरकार को कैग ने इसे गंभीरता से लेने का सुझाव दिया है। यही नहीं, कैग रिपोर्ट में दिए गए ऋण की रिकवरी पर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने 1987-88 से 2010-11 तक 79.86 करोड़ के 26 ऋण जारी किए हैं, जो अब तक वसूले नहीं जा सके हैं। यही नहीं, राजकोषीय देनदारियां चालू वर्ष के अंत में गत वर्ष की अपेक्षा 13 प्रतिशत बढ़कर 38192 करोड़ हो गईं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 फीसदी और राजस्व प्राप्तियों का 214 प्रतिशत थीं। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों का भाग 2010-11 के 49.45 फीसदी से बढ़कर 2014-15 में 59.06 फीसदी हो गया।

यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी गई है, क्योंकि सकल व्यय पर पूंजीगत व्यय का प्रतिशतता अनुपात 2011-12 में 11.17 व 2011-12 के 14.02 व 2014-15 के 14.22 के औसत अनुपात से कम है। वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना था, मगर राजकोषीय मापदंड यानी राजकोषीय घाटा 2013-14 में 1641 करोड़ और 4011 करोड़ था, जो 2014-15 में बढ़कर 1944 करोड़ और 4200 करोड़ हो गया, जबकि प्राथमिक घाटा 1530 करोड़ से घटकर 1351 करोड़ हो गया।

- राजस्व प्राप्तियों से 47 फीसदी ज्यादा वेतन व बकायों पर खर्च
- वेतन व्यय 548 करोड़ तक बढ़ने के प्रति भी सरकार को किया आगाह
- ऋण की रिकवरी के लिए भी नहीं उठाए जा रहे गंभीर कदम
- सरकार की देनदारियां बढ़कर हो चुकी हैं 38192 करोड़

1093 बस्तियों से सड़कें अभी दूर

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमजीएसवाई के तहत दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार न किए जाने से प्रदेश की 1093 बस्तियां सड़क से नहीं जुड़ पाई हैं। महकमा 99.78 करोड़ और 314.44 करोड़ की राशि इस अवधि में खर्च ही नहीं कर पाया। कैग ने महकमे के वित्तीय नियंत्रण पर सवाल उठाए हैं।

क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल

कैग रिपोर्ट में 485 सड़क कार्यों की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया गया। 441 स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्ज व 44 नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्ज से वित्त वर्ष 2010-15 के दौरान इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, मगर संबंधित डिवीजनों में अधिशाषी अभियंता इनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं कर सके।

Divya Himachal 08 April 2016

कैग के सवाल

न टारगेट पूरा, न अपफ्रंट प्रीमियम

कैग रिपोर्ट में हिम ऊर्जा की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

- मिड -डे मील के लिए नहीं बन रहे किचन
- लाडा फंड भी नहीं ले पाया ऊर्जा विभाग

■ विशेष संवाददाता, शिमला

कैग ने पेश की गई रिपोर्ट में हिमऊर्जा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। मार्च 2015 तक 2473 मेगावाट विद्युत का उत्पादन लघु विद्यत योजनाओं के जरिए किया जाना लक्षित था। मगर 476 मेगावाट की दर ही अर्जित की जा सकी।

इस अवधि में 7.80 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम चार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और 7.12 करोड़ की राशि लाडा के तहत छह स्मॉल हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से नहीं वसूली जा सकी। 33000 मेगावाट सोलर पावर क्षमता के बावजूद हिमऊर्जा 3.29 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट ही मार्च 2015 तक स्थापित कर सका है।

कैग ने वर्ष 1995 में शुरू की गई मिड-डे मील योजना के तहत किचन निर्माण के ढुलमुल कार्य पर भी सवाल उठाए हैं। वर्ष 2012 से 15 के दौरान 1248 मामलों में 42.61 लाख की राशि 20 व 175 दिनों के मध्य लेटलतीफी से स्कूलों को जारी की गई। वर्ष 2007 से 12 के दौरान 3.13 करोड़ की लागत से 507 रसोई घर व 2.03 करोड़ से स्टोर निर्मित किए जाने थे। मगर इनका कार्य पूरा ही नहीं हो पाया। रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की नए सिरे से पहचान नहीं की थी।

प्रदेश में 5.76 लाख लाभार्थियों की पहचान किए जाने में कमी थी।कागज के राशनकार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्डों और घर की सबसे उम्रदराज के नाम से बने स्मार्टकार्डों को भी जारी नहीं किया गया था। अप्रैल 2015 तक उचित मूल्य की दुकानों का कम्प्यूटीकरण नहीं किया गया था।

कृषि विभाग भी लपेटे में

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कृषि विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 से 15 के दौरान 7.88 करोड़ की लागत से 30623.50 क्विंटल आलू के बीज खरीद किए गए। ये पूरी खरीद प्रतिस्पर्धी निविदाओं के तहत नहीं की गई। यही नहीं,इस अवधि में अंतर नियंत्रण मेकेनिज्म को भी अप्रभावकारी बताया गया है।

Divya Himachal 08 April 2016

कैग रिपार्ट ने खोली एनआरएचएम की पोल

कैग के सवाल

■ विशेष संवाददाता, शिमला

कैग ने अपनी रिपोर्ट में नेशनल रूरल हैल्थ मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने जिला, ब्लॉक व गांव की जरूरत को नहीं समझ पाया। क्योंकि इस दौरान हाउसहोल्ड सर्वे ही नहीं किया गया। कुल बजट में से 19 से 47 फीसदी 2010 से 2015 के दौरान खर्च ही नहीं हो सका। इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडर्ड मानकों के तहत प्रदेश में 3390 डाक्टरों की तैनातगी होनी थी, मगर 1213 डाक्टरों के पद ही स्वीकृत किए गए। इसमें से भी 1059 मार्च 2015 तक तैनात थे। इसी तरह 6195 हैल्थ वर्कर्ज की तैनातगी हैल्थ सब-सेंटरों में की जानी थी,

हैल्थ ऐजुकेशन

■ हिमाचल में 3390 डाक्टरों की जगह 1050 ही तैनात ■ अभी भी तीन हजार से ज्यादा हैल्थ वर्कर्ज की जरूरत ■ 2009 से अब तक 19 टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में ■ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में खामियों के अंबार

शिक्षा पर दो साल में नहीं खर्च हो सके 129.80 करोड़

Divya Himachal 13 April 2016

हिमाचल के प्रधान महालेखाकार जौहरी ने जताई चिंता, घाटा बढ़ना खतरे की घंटी

कर्ज के सहारे नहीं चल पाएगी सरकार

■ कार्यालय संवाददाता, शिमला

हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी ने कहा है कि कर्ज की बैसाखियों पर राज्य की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। सरकार का घाटा लगातार बढ़ रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। इसे रोकने और लाभदायी स्थिति को लाने के लिए सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। विधानसभा में कैग रिपोर्ट रखने के बाद प्रधान

कर्ज के सहारे : पृष्ठ दो पर

इन मामलों की हो विजिलेंस जांच

आरएम जौहरी ने कहा कि वन निगम में टिंबर विक्रय को लेकर करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान, कड़छम वांगतू परियोजना में 200 करोड़ से अधिक का लाभ कंपनी को देना और पश्चिम बंगाल में थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर पैसा गंवाना कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें 500 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व हानि हुई है। इन मामलों में जांच करवाई जाए तो काफी कुछ सामने आ सकता है।

Divya Himachal 13 April 2016

पृष्ठ एक के शेष

कर्ज के सहारे...

महालेखाकार आरएम जौहरी ने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दिन-प्रतिदिन आर्थिक स्थिति डावांडोल हो रही है। सरकार का कर्जा 35 हजार करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। सरकार का सालाना बजट अधिकांश पुराने लिए गए ऋणों की वापसी और उसके ब्याज पर जा रहा है, वहीं नए ऋण अधिक ब्याज दर पर मिल रहे हैं। मार्केट से जो पैसा उठाया जा रहा है, उस पर ब्याज अधिक है और इस स्थिति में आने वाले सालों में अधिक ब्याज दर देना और ऋण चुकता करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों के ऑडिट को लेकर कई टिप्पणियां की गई हैं, जिनमें प्रशासनिक ढांचे की गलतियों को गिनाया गया है, वहीं वित्तीय नुकसान का ब्यौरा दिया गया है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इन मामलों को गंभीरता के साथ ले और ऐसे मामले, जिनमें पारदर्शिता की कमी सामने आई है, उनमें जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछेक ऐसे मामले हैं, जिनमें विजिलेंस जांच जरूरी है, मगर इस पर फैसला सरकार को लेना है। उन्होंने कहा कि कड़छम वांगतू परियोजना जो कि जेपी कंपनी के पास थी, को अब आगे बेचा जा चुका है, लिहाजा उस कंपनी पर सरकार लाइबिलिटी तय करे, जिसने इसे खरीदा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वह भी विजिलेंस को मामले भेज सकते हैं, परंतु पहले इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने बताया कि वन निगम से जवाब तलबी की गई थी, जिसने कहा है कि भविष्य में वह ऑनलाइन माध्यम से लकड़ी की बिक्री करेगा। विधानसभा की लोक लेखा समिति इस पर विभिन्न विभागों से जवाब लेगी। जौहरी ने विभागों की लेखा टिप्पणियों से अवगत कराया, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग में कहीं न कहीं चूक है और यह स्थिति ठीक नहीं है।

Punjab Kesari 13 April 2016

कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहा हिमाचल

प्रदेश के प्रधान महालेखाकार आर.एम. जौहरी का खुलासा

प्रदेश वर्तमान में करीब 40 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा

शिमला, 12 अप्रैल (हैडली): प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। प्रदेश को कर्जे की अर्थव्यवस्था से निजात दिलाने के लिए प्रदेश के राजस्व में इजाफा करने की जरूरत है तभी प्रदेश की आर्थिक स्थिति पटरी पर आ सकती है। यदि प्रदेश की माली हालत में जल्द सुधार न किया गया तो वर्ष 2017 तक स्थिति प्रदेश सरकार के हाथ से बाहर चली जाएगी।

मामला इतना गंभीर हो चुका है कि सरकार अपने पुराने कर्जों के भुगतान के लिए हर वर्ष नए ऋण ले रही है। ऋण राशि का 76 फीसदी पुराने कर्जों के भुगतान पर खर्च किया जा रहा है।

मंगलवार को इस बात का प्रैस वार्ता में खुलासा करते हुए प्रदेश के प्रधान महालेखाकार आर.एम. जौहरी ने कहा कि यदि अभी भी प्रदेश इस स्थिति से न संभला तो आने वाले दिनों में प्रदेश की वित्तीय स्थिति भयानक रूप ले सकती है। उधार लेकर नवाब की तरह जीने वाली कहावत अब काफी पुरानी हो चली है लेकिन ऐसी ही स्थिति कुछ प्रदेश में भी चल रही है। उन्होंने कहा कि (शेष पृष्ठ 2 कालम 1 पर)

शिमला : पत्रकार वार्ता को संबोधित करते प्रदेश के प्रधान महालेखाकार आर.एम. जौहरी। (तरंग)

राजस्व प्राप्तियों के साथ खर्च भी बढ़ा

आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां बढ़ी हैं लेकिन उसी अनुपात में राजस्व खर्च भी बढ़ा है। नतीजा राजस्व घाटे के तौर पर सामने आया है। यह राजस्व घाटा बढ़कर 1944 करोड़ रुपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो राजस्व प्राप्तियां 17 हजार 843 करोड़ रुपए हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 2132 करोड़ से अधिक हैं। इनमें टैक्स रैवन्यू के रूप में 5940 करोड़ रुपए व सैंट्रल टैक्स शेयर के तौर पर 2644 करोड़ रुपए आए हैं।

पंजाब केसरी ई-पेपर
Wed, 13 April 2016
epaper.punjabkesari.in/c/9667977

Aap ka Faisla 13 April 2016

अनुचित खर्चे कम करे हिमाचल सरकार : कैग

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राज्य की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

हि.स.

शिमला, 12 अप्रैल। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में राज्य के विभिन्न विभागों की कारगुजारी को लेकर अनेक सवाल उठाए गए हैं। कैग ने सरकार के बढ़ते राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर चिंता जताई है और इससे निपटने के लिए सरकार को खर्चे कम कर तुरंत कारगर कदम उठाने की नसीहत दी है। प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा आरएम जौहरी ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कर्ज लेकर आगे बढ़ने की स्थिति सही नहीं है और कर्ज लौटाने के लिए और अधिक कर्ज लिया जा रहा है, जिसका सीधा-सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा विभागों में स्थिति चिंताजनक है, जबकि अनेक केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में भी ढील नजर आई है। जोहरी ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज की 76 फीसदी राशि को पुराने कर्ज लौटाने में खर्च कर रही है और इस वजह से कर्ज का पैसा विकास कार्यों पर खर्च

-(शेष पृष्ठ 2 पर)-

Aap ka Faisla 13 April 2016

शेष भाग पृष्ठ-1

अनुचित खर्चे कम...

नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार के विभिन्न विभागों ने राजस्व जुटाने में ढील बरती है। वर्तमान में सरकार पर कर्ज 38192 करोड़ पहुंच गया है, जो गत वित्त वर्ष में 33884 करोड़ था। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार का वर्ष 2013.14 में राजस्व घाटा 1641 करोड़ रुपए से बढ़कर 1944 करोड़ हो गया है, राजकोषीय घाटा 4011 करोड़ रुपए से बढ़कर 4200 करोड़ पहुंच गया है। एक बड़ी रकम सरकारी कर्मियों के वेतन-भत्तों व पेंशन पर खर्च होती है। वर्ष 2012.13 में सरकार की राजस्व प्राप्तियां 15598 करोड़ थीं, जो 2013.14 में 15711 करोड़ रह गईं। हिमाचल सरकार को सबसे अधिक चिंता लोन को लेकर होनी चाहिए। बीते साल यानी 31 मार्च 2015 तक सरकार पर 38192 करोड़ का ऋण हो गया था। ये कुल सकल घरेलू उत्पाद का 40 फीसदी है। उन्होंने कहा कि आईपीएच व पीडब्लयूडी विभाग में सबसे अधिक कमियां पाई गई हैं। इन विभागों में कई प्रोजेक्टों पर बहुत अधिक धन खर्च हो चुका है, लेकिन अब तक प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए हैं। राज्य में स्वास्थ्य संस्थान और स्कूल जरूरत से ज्यादा खोले गए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर और स्कूल में टीचिंग स्टाफ की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार को नए संस्थान खोलने की बजाए गतिशील संस्थानों में मूलभूत ढांचा और स्टाफ उपलब्ध करवाना चाहिए। जौहरी ने कहा कि राज्य सरकार अपना खर्चा नियंत्रित नहीं कर रही है। इसके लिए सरकार को देखना चाहिए कि किन विभागों में जरूरत से अधिक स्टाफ है और उसे वह कम करे। उन्होंने कहा कि कड़च्छल बांगतु जल विद्युत परियोजना के मामले में भी सरकार से चूक हुई है। सरकार को देखना चाहिए था कि परियोजना चलाने वाली जेपी कंपनी 1 हजार की जगह 1200 मेगावाट बिजली बना रही थी। अब यह कंपनी रॉयल्टी के रूप में सरकार को 203 करोड़ रुपए लौटाए बिना परियोजना बेच कर जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के 10 बोर्ड व निगम घाटे में चल रहे हैं। सबसे अधिक घाटे में राज्य विद्युत बोर्ड निगम है। यह 340 करोड़ के घाटे में है। इसी तरह एचआरटीसी 83 करोड़ के घाटे में है। जबकि सिविल सप्लाई बोर्ड लाभ में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के छोटे बिजली प्रोजेक्टों से 2473 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना चाहिए था, लेकिन बीते पांच सालों में सूबे के 97 प्रोजेक्टों से महज 476 मेगावाट बिजली ही पैदा हुई है।

Himachal govt failed to levy Rs 209 cr fine on JP Power: CAG

The CAG, in its report, said that JP Power was given undue favour by the Himachal government despite finding that they violated rules.

The Indian Express
12 April 2016

Share 5 Tweet 3 Comments (1)

Written by Ashwani Sharma | Shimla | Published:April 12, 2016 11:26 pm

The CAG, in its report, said that JP Power was given undue favour by the Himachal government despite finding that they violated rules.

The Himachal Pradesh government, despite its precarious fiscal health and high debt exceeding Rs 35,000 crore, allegedly gave undue benefits to the tune of Rs 209.28 crore to Jaypee power company, which owned the 1000 MW Karcham Wangtoo hydel project in Kinnaur district.

The project has already been sold to another power developer for which the state government had given its permission last year. The company is also accused of hiding information about the actual capacity of the hydel project.

This is one of the revelation made by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India in its report, in which it rapped the state government's policy to promote hydro-power sector to raise revenue against the interests of the state.

SHARE THIS ARTICLE

Share

RELATED ARTICLE

CAG detects scam: 'HP govt gave undue benefits of Rs 209 cr to Jaypee Group'

CAG pulls up HPSEB for downplaying loss

"Failure of the Energy department to detect capacity addition of hydropower project in time and non-levy of Rs 209.28 crore on account of capacity addition charges, additional free power royalty and local area development fund led to extension of undue favour to the power developer," said Ram Mohan Johri, Principal Accountant General (Audit) Himachal Pradesh here .

The findings of the CAG reveals that Karcham-Wangtoo hydel project was allotted to M/s Jaiprakash Industries Limited for an installed capacity of 900 MW through MOU route in August 1993. The CEA in March 2003 accorded techno-economic clearance to the project for an enhanced capacity of 1000 MW. The project was commissioned in May 2011 at a cost of Rs 6,903 crore.

However, in 2011, the CEA detected that the turbine of each generating unit procured by the developer were instead designed for 300 MW. Meaning that the normal continuous output thereby was of total capacity of 1200 MW, which was 20 per cent more than the rated output of the machine.

The state government constituted a Technical Committee (TC) to investigate the specific deviations in the project, which the TC confirmed in June 2013.

Despite the deviations, the company got approval for the same from the state government in 2015.

"When we posed the questions to the government authorities, they admitted that the company had no Techno-economic clearance for 1200 MW and also there was failure to levy dues to the tune of Rs 209.28 crore," Johri said.

In two other cases, the CAG has found grave irregularities in state government's investments in a thermal power plant that resulted in a loss of Rs 3.98 crore as the project work never took off. CAG, in its report, said that the investment was made without studying its feasibility and choosing a Joint Venture Partner, EMTA, without assessing the merits. The case was being probed by Enforcement Directorate (ED) on money laundering charges as there were top government official involved .

Another irregularity of Rs 71.64 crore detected by CAG is related to grading and classification of timber sold by the HP State Forest Corporation. Grade 'A' timber was wrongly classified at lower variants leading to a loss of Rs 18 crore.

PHOTOS

Madhuri, Terrence announce new dance show; Shraddha, Tiger take Baaghi for promotions

Karisma, Kareena celebrate mom Babita's birthday

Aishwarya, Abhishek celebrate 9th anniversary

BEST OF EXPRESS

India
Amitabh Bachchan denied link, records show he joined board meetings via phone

India
Mentally, we are militants: That's the angry youth chorus in south Kashmir

India
Giriraj Singh's latest: Fix 2-kid norm for all religions to keep (Hindu) daughters safe

India
West Bengal elections LIVE: Phase three voting begin with sporadic violence

India
India, China for 'mutually acceptable' solution to border dispute

Daily Post 13 April 2016

Two cement firms in HP vaded tax: CAG

SHIMLA: Two major cement companies in Himachal Pradesh have evaded goods tax of over Rs 59 crore, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) has said. Audit scrutiny of records showed that Ambuja Cement at Darlaghat and JP Cement Himachal Plant at Bagha had evaded additional goods tax, a CAG report said.

It said the companies transported 1,66,58,437 metric tonnes (MT) of limestone and 21,33,544 MT of shale from mining areas to cement plants for manufacturing cement and clinker from April 2012 to March 2014. Ambuja Cement and JP Cement were liable to pay Rs 33.74 crore and Rs 26.16 crore as additional goods tax to the government, said the report that was laid in the assembly this month. IANS

Dainik Savera 13 April 2016

कर्ज भंवर में हिचकौले खाती हिमाचली नैया

▶▶ कैग ने खींची प्रदेश की आर्थिकी की भयावह तस्वीर ▶▶ पिछले भुगतानों को नए ऋण ले रही प्रदेश सरकार

- राजस्व प्राप्तियां खातों को बेहतर तंत्र विकसित करने की जरूरत
- हालात न सुधरने पर 2017 तक नियंत्रण से बाहर होगी स्थिति

1944 करोड़ रुपए का हुआ राजस्व घाटा

खर्च पर लगाओ अंकुश उगाही करो चुस्त

Dainik Bhaskar
08 April 2016

कैग रिपोर्ट में खुलासा | सरकारी स्कूलों में स्टाफ कम, रिजल्ट बेहद खराब, मैट्रिक में तो हालत और भी खराब

शिक्षा विभाग नहीं खर्च पाया 37% बजट

- बजट खर्चने में फिसड्डी
- देरी के कारण आईटी प्रोजेक्ट से वंचित
- दसवीं कक्षा में 25 स्कूलों में रिजल्ट 0 फीसदी

अनिल ठाकुर | शिमला

शिक्षा विभाग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मिले बजट को तय समय के भीतर खर्च नहीं कर पाया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013-15 के दौरान उच्च शिक्षा विभाग को जिला स्तर पर आरएमएसए के तहत वार्षिक कार्य योजना को पाठशाला स्तर की विकासात्मक योजना पर विचार किए बिना तैयार किया गया था। सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार विभाग को आरएमएसए के तहत 348.47 करोड़ की कुल निधियों में से कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर केवल 218.67 करोड़ की खर्च कर किया जा सका। मार्च 2015 तक 129.80 करोड़ यानि 37 फीसदी राशि को शिक्षा विभाग खर्च नहीं कर सका।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पांच आदर्श पाठशालाओं के निर्माणार्थ भारत सरकार व राज्य सरकार ने मार्च 2010 में दिए गए 7.23 करोड़ में से 4.70 करोड़ जमीन उपलब्ध न करवाने के कारण व काम की धीमी गति के कारण बजट खर्च ही नहीं हो सका।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना-2 के क्रियान्वयन में विलंब समय पर निविदाओं को अंतिम रूप न देने के कारण हुआ। जिसके चलते परिणामस्वरूप राजकीय पाठशालाओं के विद्यार्थियों को परियोजना के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में टीचर और टीचिंग हैल्पिंग स्टाफ की बेहद कमी है। स्कूलों में स्टाफ की कमी मार्च 2015 तक 14 से 39 फीसदी के बीच रही। स्वीकृत स्टाफ के मुताबिक अन्य श्रेणियों के स्टाफ में भी काफी कमी दर्शाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2011-15 के दौरान स्कूलों का रिजल्ट बेहद खराब था। 2-16 स्कूलों में कक्षा दसवीं का रिजल्ट शून्य फीसदी था।

मिड डे मील प्रबंधन से भी खुश नहीं

सीएजी ने मिड डे मिल के तहत मिले बजट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बजट होने के बावजूद राज्य के स्कूलों में 430 रसोई घरों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

गले सड़े पेड़ों पर वन निगम ने दी रॉयल्टी

रॉयल्टी देने से हुआ 1.52 करोड़ का नुकसान, निगम घाटे का जिम्मेदार

भास्कर न्यूज | शिमला

राज्य वन निगम के बढ़ते घाटे को लेकर कैग ने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट बताती है कि हर साल बढ़ रहे घाटे के लिए वन निगम खुद जिम्मेदार है। वर्ष 2010-11 में वन निगम का घाटा 31.66 करोड़ था। जो 2014-15 में बढ़कर 52.75 करोड़ तक पहुंच गया है। रिपोर्ट बताती है कि दुर्गम क्षेत्रों में निगम ने ऐसे लॉट्स खरीद लिए जिससे नुकसान हुआ। गले सड़े पेड़ों पर रॉयल्टी दे दी गई। रॉयल्टी पर ब्याज, विस्तार फीस दी गई। इस कारण वन निगम को 1.52 करोड़ का नुकसान हुआ।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार लकड़ी की निकासी का कार्य निर्धारित समय के बाद चार से आठ साल बीतने के बाद भी नहीं किया गया। इसके कारण ठेकेदारों से बढ़ोतरी शुल्क की वसूली न होने व दी गई रॉयल्टी पर ब्याज की हानी के कारण 1.28 करोड़ की हानि के साथ पिछले कई सालों से वनों में पड़ी निकासित लकड़ी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। वर्ष 2010-15 के दौरान निर्धारित तिथियों में रॉयल्टी की किस्तों की अदायगी न कर पाने के कारण कंपनी की ओर से वन विभाग को ब्याज के रूप में 6.85 करोड़ की अदायगी करनी पड़ी।

71.76 करोड़ ग्रेडिंग न होने से गंवाए

लकड़ी की ग्रेडिंग बिक्री डिपुओं पर की जा रही है। केवल 0.5 फीसदी को ही ए ग्रेड में रखा गया। वर्गीकरण की प्रक्रिया में कोई भी जांच नहीं की जा रही थी। लकड़ी के 25 फीसदी वर्गीकरण को गलत मानने से ही 71.64 करोड़ की संभावित राजस्व हानी हुई। यही नहीं लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के बावजूद वन विभाग को देय रॉयल्टी में ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति में वन विभाग द्वारा देय से 12.01 करोड़ के समायोजन न कर पाने से 2.4 करोड़ ब्याज की हानी हुई। जब्त की हुई लकड़ी को डिस्पोज नहीं किया गया। उसकी ब्लॉकेज के कारण 2.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ इसमें 29.88 लाख के वैट का नुकसान वन विभाग को झेलना पड़ा है।

प्रचार करते तो देवदार से होती 18 करोड़ की कमाई

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-15 के दौरान बाजार दरों की तुलना में लकड़ी की नीलामी की दरों में 60-106 फीसदी का अंतर आया। कंपनी की नीलामी में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं की जा सकी। सीमित प्रतिस्पर्धा या उत्पादक संघ के गठन के कारण अत्यधिक मार्जिन प्राप्त कर रहे हैं। कैग ने कहा है कि यदि बिक्री की दरों को व्यापक प्रचार के माध्यम से वसूल करने के प्रयास किए जाते तो बिक्री के खर्चों व लाभ को पूरा करने के लिए 50 फीसदी मार्जिन अनुमत करने के बाद केवल देवदार की बिक्री से ही कंपनी 18 करोड़ की अतिरिक्त आय कमा सकती थी।

सीमेंट कंपनियां: 59.90 करोड़ नहीं वसूल सका विभाग

नाकामी

- 1251 कॉमर्शियल वाहनों ने विभाग के पास रजिस्टर न करवा लगाया 89.07 लाख का चूना
- डुप्लीकेट फार्म से 20 लाख का झटका, क्लोजिंग स्टाक के गलत वेल्यूशन से डेढ़ करोड़ का नुकसान

भास्कर न्यूज | शिमला

हिमाचल में चल रही सीमेंट कंपनियों से आबकारी विभाग अतिरिक्त गुड्स टैक्स का 59.90 करोड़ वसूलने में नाकाम रहा है। यह कंपनियां हिमाचल से चूना पत्थर और क्लींकर ट्रांसपोर्ट करती है। यह विभाग ने कंपनी ने वसूलने की जहमत तक नहीं उठाई है। प्रदेश के लिए राजस्व जुटाने के लिए बनाए गए राजस्व विभाग की कारगुजारियों भी प्रदेश को मिलने वाली करोड़ों की आय खटाई में पड़ गई है।

अवैध या डुप्लीकेट फार्मों को मंजूर करने से विभाग को नौ मामलों में 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं विभाग के अधिकारियों की ओर से क्लोजिंग स्टॉक पर टैक्स कम वेल्यूशन करने से सरकार को 1.59 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसी ही स्थिति आबकारी का कोटा कम उठाने के एवज में 3.24 करोड़ की कम रिकवरी की गई है। लाइसेंस फीस भी विभाग पूरी तरह से वसूल नहीं सका है। इसकी कम वसूली के चलते विभाग को 4.42 करोड़ रुपए की कम आय मिली है। इस पर 46 लाख रुपए ब्याज का भी नुकसान हुआ है। इसी फीस की रिकवरी के दौरान ब्याज न वसूलने से 64 लाख रुपए का झटका लगा है। प्रदेश परिवहन विभाग के पास पंजीकृत 1251 कामर्शियल वाहन ऐसे हैं, जिन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकरण नहीं करवाया है। इससे विभाग को टैक्स के रूप में 89 लाख से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ रहा है।

राजस्व विभाग ने गंवाए 16 करोड़

प्रदेश के राजस्व विभाग भूमि की खरीद फरोक्त के वक्त स्टॉम्प वैल्यू का सही आकलन नहीं कर सका। गलत वैल्यूशन रिपोर्ट के चलते 169 मामलों में हिमाचल को 80.87 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं लीज मनी वसूल न करने के कारण 12.47 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। लीज मनी कम वसूले जाने के कारण हिमाचल को 4.24 करोड़ की कम आय है।

वित्तीय प्रबंधन पर कैग ने उठाए सवाल, पूंजीगत निवेश भी घटा

सरकार ने सरंडर किए 1648 करोड़ रुपए

- 2378 करोड़ के नहीं दे सका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट
- 13 परियोजनाओं को दस साल में पूरा नहीं कर सके सरकारी विभाग

भास्कर न्यूज | शिमला

कैग रिपोर्ट ने हिमाचल सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैग की रिपोर्ट में साफ है कि हिमाचल सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन को सही बनाने में असफल रही है। सरकार ने 1648.74 करोड़ की राशि सरंडर कर दी, यानि इसे सरकार विकास पर नहीं खर्च सकी। सरकार की मार्केट से ऋण पर निर्भरता बढ़ रही है। 2011 में 49.45 फीसदी की दर अब बढ़कर 59.06 फीसदी हो गई है। आने वाले सालों में इसके और बढ़ने की आशंका है। सरकार पिछले पांच सालों में अपने विभिन्न तरह के निवेश पर 3.81 फीसदी औसत ब्याज कमा रही है।

वहीं अन्य एजेंसियों से लिए ऋण का भुगतान सरकार की ओर से औसतन 7.81 फीसदी किया जा रहा है। राज्य सरकार को विभिन्न एजेंसियों से विकास के लिए मिले ऋण के बाद हुए कार्यों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार को जिन कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों से 2387.39 करोड़ की राशि जारी की गई थी। उन कार्यों को अभी तक किया ही नहीं जा सका है।

इसके चलते इन कार्यों की अगली किश्त भी रोकी गई है। राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग पिछले दस सालों में 13 प्रोजेक्टों का काम कर रहा है। अभी तक यह पूरे नहीं हो सके है। इन प्रोजेक्टों की लागत बढ़ने से प्रदेश सरकार को नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार का राजस्व घाटा 2013 -14 में 1641 करोड़ था। यह बढ़कर 1944 करोड़ पहुंच गया। वहीं सरकार का वित्तीय घाटा इसी अवधि में 4011 करोड़ से बढ़कर 4200 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। सरकार ने 1648.74 करोड़ की रासि सरंडर कर दी, यानि इसे सरकार विकास पर नहीं खर्च सकी।

हिमाचल का पूंजीगत निवेश लगातार घटा

हिमाचल का पूंजीगत निवेश में हिस्सा लगातार कम हो रहा है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के पूंजीगत निवेश की औसत से भी कम निवेश हिमाचल में हो रहा है। 2011-12 में यह दर 11.17 फीसदी थी, अब यह घटकर 10.88 फीसदी हो गई है। हालांकि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में इसकी दर 14.02 फीसदी है।

वेतन भुगतान से बढ़ा 548 करोड़ का बोझ

राज्य सरकार अपने राजस्व रिसिप्ट का 47 फीसदी वेतन के भुगतान पर खर्च रही है। यह साल में 548 करोड़ बढ़ गया है। राज्य सरकार के लिए यह चिंता का विषय है। सरकार को अपने वेतन पर बढ़ रहे खर्च के साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों को ही बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है।

79 करोड़ के ऋण रिकवर नहीं कर पा रही सरकार

राज्य सरकार ने 79.86 करोड़ के ऋण राज्य की विभिन्न 26 एजेंसियों को दे रखे हैं। यह रिकवरी पिछले तीस सालों से नहीं हो पा रही है। इससे सरकार को लगातार ब्याज और धन का नुकसान हो रहा है।

इन स्कूलों में केवल 25 फीसदी रहा दसवीं का रिजल्ट

134 से 232 स्कूलों का रिजल्ट केवल 25 फीसदी से भी कम था। 14-15 के दौरान 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10 स्कूलों में शून्य व 48 स्कूलों का रिजल्ट 25 फीसदी से कम था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2015 तक विभाग द्वारा स्कीम के तहत निर्धारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रबंधन स्थापित नहीं किए गए थे।

ठेकेदार को फायदा, बिजली बोर्ड को लगा 2.22 करोड़ का चूना

खबर पेज 6 पर

Dainik Bhaskar
08 April 2016

कैगः ठेकेदार को फायदा, बिजली बोर्ड को लगा 2.22 करोड़ का चूना

3.39 करोड़ का ऋण लेकर बोर्ड ने जरूरत से ज्यादा खरीदे मीटर

भास्कर न्यूज | शिमला

कैग की रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। इसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सभी गांव और निवास स्थानों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शुरू की गई स्कीम के तहत बोर्ड ने चंबा जिले में 33 केवी सबस्टेशन वितरण लाइन के निर्माण से संबंधित कार्य मैसर्स एप्टेक लिमिटेड कोलकाता (ठेकेदार) को 22.24 करोड़ में दिया।

2009 में दिए कार्य को 2010 में पूरा करने का लक्ष्य तय किया। ठेकेदार को अनुबंध के तहत 10 फीसदी राशि बैंक गारंटी काम मिलने के तीस दिनों के भीतर जमा करवानी थी। ठेकेदार ने एक्सिस बैंक कोलकाता के माध्यम से 31 दिसंबर 2011 तक वैधता वाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की। ठेकेदार तय समयावधि में काम पूरा नहीं कर सका। इस अवधि को 2012 तक बढ़ाया, फिर भी काम पूरा नहीं हो सका। बोर्ड ने न ही बैंक गारंटी को बढ़ाया और न ही ठेकेदार ने इसे रिन्यू करवाया।

इसके बाद कंपनी ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसे दस दिनों के भीतर दोबारा से बैंक गारंटी देने का मौका दिया। जून 2013 में इस ठेके को रद्द कर दिया। इस टेंडर के तहत 40 फीसदी के लिए 15.52 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया। बचा हुआ काम अभी पूरा नहीं हो सका है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते ठेकेदार ने बैंक गारंटी को अपनी होशियारी से रिन्यू नहीं करवाया। इससे बोर्ड को 2.22 करोड़ नुकसान झेलना पड़ा है।

बिना जरूरत खरीद किए मीटर

कंपनी ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान 34001 एलटीसीटी और सिंगल फेज डिजिटल टेस्ट मीटरों की खरीद की। कैग रिपोर्ट में इसके उपयोग की ऑडिट जांच में पाया गया कि मीटर जरूरत से कहीं ज्यादा खरीदे हैं। खरीदे मीटरों की मात्रा व जरूरत के आकलन में पूरी तरह से विफल रहा। इस कारण कंपनी के 3.39 करोड़ के 9734 मीटर कंपनी के गोदामों में पड़े हैं। इससे न केवल ऋण लिया गया पैसे का नुकसान हुआ बल्कि इस पर दिए 50 लाख से ज्यादा के ब्याज का नुकसान भी झेलना पड़ा है।

मीटर, पोल खरीद में घाटा

इसके साथ ही बिजली बोर्ड को बिजली के मीटर खरीद और पोल खरीद में भी एक करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इसमें कंपनी को समय पर ऑर्डर न देने और दूसरे मामले में पोल बाजार से तय कीमत से ज्यादा दरों में खरीदने के कारण बोर्ड को नुकसान झेलना पड़ा है।

Dainik Bhaskar
13 April 2016

कैग रिपोर्ट में बड़ा सवाल | निगम खुद आधा फीसदी लकड़ी को ही देता है ए ग्रेड

वन निगम में लकड़ी ग्रेडिंग में गोलमाल की आशंका

- कैग की ग्रेडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की सिफारिश

भास्कर न्यूज | शिमला

कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें टिंबर की ग्रेड सलेक्शन पर ही कैग ने सवाल उठाए है। इसमें पारदर्शिता लाने की सिफारिश भी की है। लकड़ी काटने के बाद इसकी ग्रेडिंग की जाती है। वन निगम खुद अपनी लकड़ी की ग्रेडिंग में एक ग्रेड महज 0.5 फीसदी लकड़ी को ही देता है। ऐसे में साफ है कि निगम लकड़ी को कैसे आंकता है।

रिपोर्ट में कहा है कि टिंबर की गलत ग्रेडिंग से हिमाचल और वन निगम को 71.64 करोड़ का नुकसान हुआ। कैग ने ग्रेडिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की जरूरत पर बल दिया है। कैग के इस कमेंट से साफ है कि टिंबर ग्रेडिंग की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। राज्य वन निगम की देवदार की बिक्री पर कैग ने किए काम पर माना कि इसकी बिक्री सही तरीके से होती तो राज्य सरकार को 18 करोड़ की अतिरिक्त आय हो सकती थी। इसकी बिक्री की प्रक्रिया सही न होने के कारण हिमाचल वन निगम की आय पर विपरीत असर पड़ा है।

बाजार से कम कीमत पर बेचा

वन निगम ने लकड़ी को बाजार की दर से 60 से 106 फीसदी कम दर पर बेचा। निगम कंपीटिशन से कमाई नहीं कर पा रहा है। निगम अपने उत्पाद की बिक्री का प्रचार कर और रेट वसूल कर कमाई को बढ़ा सकता है।

कर सकता है सिफारिश

कैग ऐसे मामलों को सीधे विजिलेंस के पास भेजने की सिफारिश भी कर सकता है, लेकिन किसी भी ऑब्जरवेशन पर विभाग या निगम को सुधार के लिए समय दिया जाता है। जब निगम की ओर से संतोषजनक कार्यवाही कर लेता है तो कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन छह से लेकर बारह महीनों तक यदि कार्यवाही नहीं जाती तो ऐसे मामलों को विजिलेंस के पास भेजने की सिफारिश की जाती है।

कड़छम वांगतू से 209 करोड़ नहीं वसूले

- कंपनी को 1000 की मंजूरी, 1250 मेगावाट का किया उत्पादन

भास्कर न्यूज | शिमला

कैग में एक अन्य मामला सामने आया है, इसमें कड़छम-वांगतू बिजली प्रोजेक्ट के लिए सरकार से एक हजार मेगावाट की मंजूरी मिली थी। मंजूरी के बावजूद कंपनी ने प्रोजेक्ट से 1250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। कंपनी से राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने अतिरिक्त उत्पादन पर फीस, रॉयल्टी और लाडा के पैसे की वसूली नहीं की।

इस कारण ऊर्जा विभाग को 209 करोड़ की राशि नहीं मिली। सरकार को अब इस राशि को मिलने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि प्रोजेक्ट को बनाने वाली जेपी कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को बेच दिया है। ऐसे में ऊर्जा विभाग को पैसे को वसूलने के लिए नई कंपनी से मामला उठाना होगा। इस मामले में ऊर्जा विभाग पूरी तरह से अतिरिक्त रॉयल्टी से लेकर अन्य मामलों में वसूली में असफल रहा है। ऑडिट की फाइंडिंग को विभाग को जून 2015 में भेजा था, लेकिन अभी तक विभाग ने जवाब नहीं दिया है। ऊर्जा विभाग ने 2473 मेगावाट क्षमता उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसमें से 476 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही हो सका।

गलत निवेश से 300 करोड़ का नुकसान

राज्य सरकार के पावर कॉरपोरेशन ने पश्चिम बंगाल में लगाए जाने वाले थर्मल प्लांट को बिना सर्वे या प्लानिंग के ही निवेश कर दिया। इससे राज्य सरकार को 300 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ, हालांकि इससे राज्य को कोई लाभ नहीं हो सका है।

Dainik Bhaskar
13 April 2016

नए कर्ज लेकर पुराने कर्ज चुका रहा हिमाचलः कैग

आर्थिक स्थिति खराब, 3 साल में लिया हजारों करोड़ ऋण

शिमला | प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज आलम यह है कि हिमाचल अपना पुराना ऋण लौटाने के लिए भी नए ऋणों का इस्तेमाल कर रहा है। राज्य के प्रधान महालेखाकार आरएम जोहरी ने कैग रिपोर्ट पर अन्य अधिकारियों के प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि राज्य के पिछले तीन सालों में जो ऋण लौटाए हैं, इसमें 2013-14 में 42% राशि ऋण लेकर लौटाई गई है।

इसके अगले साल 74 % राशि ऋण लेकर लौटाई गई है। राज्य सरकार ने 2012-13 में 3371 करोड़ का ऋण लिया और 2117 करोड़ के ऋण की वापसी की। 2013-14 में 4054 करोड़ के ऋण लिए और 1704 करोड़ के ऋण की वापसी की। इसमें 42 % राशि ऋण लेकर लौटाई गई। 2014 में 10877 करोड़ के ऋण लिए और 8260 करोड़ के ऋण लौटाए। इसमें से 76% राशि ऋण लेकर लौटाई गई है। उन्होंने कहा कि यह एफआरबीएम एक्ट की भी उल्लंघना है। राज्य सरकार अपने राजस्व खर्च के लिए भी कमाई नहीं कर पा रही है। -शेष पेज 9 पर

वेतन जिसका बढ़े, प्रदेश पर पड़ता है आर्थिक बोझ

आर्थिक संकट के दौर में हिमाचल के विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के मामले में पूछे प्रश्न पर सीएजी ने साफ कुछ भी कहने से गुरेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वेतन जिसका भी बढ़े, बोझ तो पड़ता ही है। राज्य को फिजिक्ल और रेवन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए लक्ष्य तय कर रखे थे। इन्हें कम करने के लक्ष्य को हासिल करने में हिमाचल पूरी तरह से नाकाम रहा है। हालांकि रेवन्यू डेफिसिट तो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं।

Dainik Bhaskar
13 April 2016

नए कर्ज...

राजस्व प्राप्तियां 45 फीसदी है। 55 फीसदी हिस्सा केंद्रीय अनुदान या ऋण पर निर्भर कर रहा है। राज्य सरकार ने अपना निवेश काफी कम दर पर की है। सरकार को अपने निवेश पर ब्याज दर 3.7 फीसदी तक ही मिलती है, हालांकि राज्य सरकार की ओर से लिए गए ऋणों पर ब्याज सात फीसदी से ज्यादा अदा किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के संकट की स्थिति है। इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार को ऋणों की राशि को ऐसे निवेश करना होगा, ताकि राज्य को मिलने वाली रिटर्न ब्याज की दर से ज्यादा हो। ऐसी ही स्थिति में राज्य की आर्थिक स्थिति आने वाले समय में मजबूत हो सकती है। ऋणों की प्राप्तियों और भुगतान का प्रतिशतत्ता लगातार बढ़ रही है। इसकी दर 21 से 27 फीसदी तक पहुंच चुकी है। इस दौरान उनके साथ हिमाचल के महालेखाकार सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

Dainik Bhaskar
14 April 2016

कैग में खुलासा | शिमला जिला में सात गांवों को जोड़ने के लिए बननी थी सड़क

सड़क तो बनाई नहीं ठेकेदार को दे दिया अनुचित लाभ

भास्कर न्यूज | शिमला

लोक निर्माण विभाग में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। सड़क और पुल निर्माण के लिए 18 महीनों में 7.11 करोड़ का निवेश बेकार गया। विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सीएजी ने सवाल खड़े किए हैं। शिमला जिला के 7 गांवों और रोहड़ू के मेहंदली में पब्बर पर पुल निर्माण और 2.525 किलोमीटर बाईपास सड़क निर्माण के लिए योजना तैयार की गई। इसके लिए 11.25 करोड़ मंजूर हुए। पुल के लिए नाबार्ड के तहत 6.71 करोड़ स्वीकृत हुए। दिसंबर 2007 में राशि मंजूर की गई। इस कार्य को दो सालों में पूरा किया जाना था।

मई 2008 में बिना तकनीकी मंजूरी के कार्य शुरू किया गया। 7.11 करोड़ से इसे दिसंबर 2013 में पूरा किया। इसके बाद राज्य योजना स्कीम के तहत अगस्त 2007 बाईपास का निर्माण न करने के कारण वाहन यातायात के लिए नहीं खोला जा सका। बाईपास की सभी स्टेज में निजी भूमि थी। इस कारण विस्तृत परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। ये कार्य मई 2015 तक पूरा नहीं किया जा सका है। विभाग ने ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की।

शिमला का है ठेकेदार

मंडी जिला के चार गांवों को संपर्क के लिए अल्शेड खड्ड पर 90 मीटर स्पैन झुलापाद पुल के निर्माण नाबार्ड से हुआ। इसके तहत 84.24 लाख अनुमोदित हुए। काम शिमला के ठेकदार को 62.15 लाख में दिया। 2009 को इस कार्य को पूरा हो था। ठेकेदार ने बिना कारण बताए कार्य रोक दिया। विभाग ने जनवरी 2012 में विलंब के लिए 12.43 लाख का नुकसान हुआ। बाद में 1.4 करोड़ का ये कार्य दूसरे ठेकेदार को दिया। पहले वाले ठेकेदार से वसूली योग्य 41.41 लाख की अतिरिक्त लागत पर यह कार्य दिया गया। विभाग ने फरवरी 2015 तक 55.53 लाख की सरकारी देय की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया। विभाग ने मार्च 2014 तक कार्य पर 82.92 लाख का व्यय किया था। कार्य के लिए प्रति बुक की गई सामग्री सितंबर 2015 तक प्रयुक्त नहीं की गई।

कोल्ड मिक्स तकनीक से बनेंगी सड़कें

भास्कर न्यूज | शिमला

पीडब्ल्यूडी प्रदेश में भविष्य में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख कर सड़कों का निर्माण करेगा। इसे लेकर विभाग नई तकनीक को अपनाएगा। कोल्ड मिक्स तकनीक से सड़कों को तैयार करेगा। इस तकनीक में तारकोल को पिघलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विभाग कोल्ड मिक्स तकनीक का प्रयोग करके सड़कों बनाएगा जो ईको फ्रेंडली होगा। इसके साथ सड़कों को लंबी समय अवधि के लिए टिकाऊ बनाए रखने के लिए सीमेंट स्टैबेलाईजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। विभाग प्रदेश में 30.71 किलोमीटर सड़कों में इस तकनीक को अपनाएगा। इसके अतिरिक्त हरित पहल के हिस्से के तहत 289 किलोमीटर सड़क के निर्माण में कोल्ड मिक्स तकनीक का प्रयोग होगा।

मुख्यमंत्री ने लंबित कार्य में तेजी लाने के दिए आदेश

मुख्यमंत्री वीरभद्र ने पीडब्ल्यूडी को लंबित कार्यों को दो माह के भीतर पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रिवर्क पैकेज साइज के निर्देश दिए ताकि अधिकतम बोलीदाता शामिल हो सके। ये निर्णय गुणवता बनाने व काम के समय पर पूरा होने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य गुणवता मॉनिटर को कार्य के विभिन्न स्तरों पर कम से कम तीन जांच सुनिश्चित बनानी होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 190 सड़कों व पुलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान किए जाने पर खुशी व्यक्त कि और कहा कि केंद्र सरकार से पहली बार इतनी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृति मिली है।

The Tribune08 April 2016

State's fiscal health grim: CAG

Prateeksha Chauhan

Tribune News Service

Shimla, April 7

The Comptroller and Auditor General (CAG) report for 2016 has rapped the government for its failure to rein in the fiscal deficit and mounting debt liabilities which have touched Rs 38,192 crore.

The CAG report, painting a grim picture of the deteriorating financial health of the state with the outstanding debt touching Rs 38,192 crore, was tabled in the Assembly today.

The fiscal liabilities at the end of the current year post a growth of 13 per cent over the previous year (Rs 33,884 crore) and stood at 40 per cent of the Gross State Domestic Product (GSDP) and 214 per cent of the revenue receipts.

In poor condition

- Mounting debt liabilities have touched Rs 38,192 crore
- The report also points out to poor financial health of the 17 working PSUs
- The total revenue receipts for 2014-15 was Rs 17,843.45 cr as compared to Rs 15,711.08 cr during the previous years
- Total loans and advances made by the state at the end of 2014-15 was Rs 2,347 crore

The CAG report, painting a grim picture of the deteriorating financial health of the state with the mounting debt, was tabled in the Assembly

The committed expenditure on salaries, pensions and interest payments showed an increase from Rs 13,348 crore in 2013-14 to Rs 14,962 crore in 2014-15, mainly on account of the revision of pay and pension.

The report also points out towards the poor financial health of the 17 working public sector undertakings (PSUs) as only seven earned the total profit amounting to Rs 13.97 crore while 10 of them incurred losses worth Rs 467.97 crore.

A total of 34,675 employees work in 17 PSUs and two statutory corporations. As on March 31, 2015, the capital and long-term loans taken by 21 PSUs was Rs 9,272.17 crore.

The thrust on PSU investment was mainly in the power sector which increased from Rs 4,606.27 crore in 2010-11 to Rs 6,571.20 crore in 2014-15.

"The state revenue deficit which stood at Rs 1,641 crore increased to Rs 1,944 crore during 2014-15 while the fiscal deficit increased from Rs 4,051 crore in 2013-14 to Rs 4,200 crore in the current year," the report points out.

The total revenue receipts for 2014-15 was Rs 17,843.45 crore as compared to Rs 15,711.08 crore during the previous years. Out of this, 45 per cent was raised through tax revenue (Rs 5,940.10 crore) and Rs 2,091.45 crore as non-tax revenue.

The remaining 33 per cent was received from the Centre as the state's share in Central taxes which worked out to be Rs 2,484.17 crore and grants-in-aid of Rs 7,177.67 crore. There was an increase in revenue receipts over the previous year by Rs 2,132.37 crore.

Total loans and advances made by the state at the end of 2014-15 was Rs 2,347 crore. Out of this, loans and advances to government corporation/companies, non-government institutions and local bodies amounted to Rs 1,613 crore.

VC lays stone of girls' hostel

Our Correspondent

Palampur, April 7

CSK HP Agricultural University Vice-Chancellor Dr KK Katoch laid the foundation stone of a new girls' hostel 'Kalindi'. It will have 36 rooms to house 72 girls. It will be constructed at a cost of Rs 2.3 crore and has been fully funded by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).

The foundation stone of a boys' hostel, to be built at a cost of Rs 2.5 crore, was laid on Tuesday.

The Vice-Chancellor said with the addition of a new hostel, all university hostels would be able to accommodate 1,030 students out of the total 1,288 students on the rolls.

He said two more hostels, one for boys and the other for girls, are likely to be sanctioned soon by the Government of India where a proposal has already been submitted.

Estate Officer AK Chadha, Executive Engineer Ashok Sood, architect Ashwani Sharma, statutory officers, scientists and students were present on the occasion.

UPES

Seminar

Design your Engineering Future with INDUSTRY-ALIGNED B. TECH PROGRAMS

Seminar

Prepare yourself for Careers in TRANSPORTATION DESIGN, PRODUCT DESIGN and DIGITAL ARTS

The Tribune 11 April 2016

State failed to utilise ₹129 cr education fund: CAG

Bhanu P Lohumi

Tribune News Service

Shimla, April 10

The state Education Department has failed to utilise Rs 129.80 crore under the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) which was 37 per cent of the sanctioned amount of Rs 348 crore during 2010-15.

Against the approved outlay of Rs 444.42 crore for 2010-15, the total availability of fund was Rs 348 crore of which Rs 218.67 crore was utilised and out of Rs 141.92 crore advanced to executing agencies, only Rs 19.76 crore was adjusted and remaining Rs 122.16 crore was lying unadjusted and short utilisation of funds ranged between 53 per cent and 79 per cent during this period, as per the report of the Comptroller and auditor General (CAG) for the year ending March 2015.

The CAG pointed out that 1,566 (66 per cent), 2,196 (92 per cent) and 1,617 (68 per cent) schools did not have science laboratory, art/craft/ culture room and library.

The report said funds amounting to Rs 26.39 crore were not released by the Centre due to non-completion of the ongoing works. The work of 51 new school buildings out of 163, approved by the Project Approval Board (PAB), could not be assigned to the executing agencies due to the involvement of forest land.

Revelations

- The department has failed to spend ₹129.80 crore which was 37 per cent of the sanctioned amount of ₹348 crore during 2010-15
- Against the approved outlay of ₹444.42 crore for 2010-15, the total availability of fund was ₹348 crore of which ₹218.67 crore was utilised
- 1,566 (66 per cent), 2,196 (92 per cent) and 1,617 (68 per cent) schools do not have science lab, art/craft/ culture room and library
- ₹26.39 cr was not released by the Centre due to non-completion of the ongoing works
- The work of 51 new school buildings out of 163 could not be assigned to the executing agencies due to the involvement of forest land.

A sum of Rs 40.44 crore was spent on the construction of 112 school buildings and construction of 64 schools was completed while 33 school buildings was lying incomplete as on July 2015 while work on 15 buildings did not commence.

The CAG pointed out that the PAB had approved the construction of science lab, computer room, art/craft and cultural room, library, additional classroom and child with special need friendly toilets in 848 schools for completion within one year but out of 848 schools, construction work of rooms in only 93 schools had been completed.

Out of Rs 193.64 crore sanctioned, Rs 126.83 crore was released for the remaining 755 works but 487 (65 per cent) works remained incomplete.

The Centre sanctioned (2009-10) model schools in the educationally backward blocks and construction of five such schools was approved (March 2010) for Chamba and Sirmaur districts at Rs 3.02 crore per school required to be constructed on at least five acres of land.

However, the construction of three out of five schools was not taken up till June 2015 by HIMUDA due to failure of the department to provide Rs 91.89 crore and 237 works (31 per cent) sanctioned for Rs 74.83 crore had not been taken up for execution as on July 2015 due to non-transfer of land in the name of the Education Department.

The Tribune

12 April 2016

CAG raps PWD for 'unfruitful' expenditure

BHANU P LOHUMI
TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, APRIL 11

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) has pulled up the Public Works Department for incurring "unfruitful" expenditure due to delay in execution of works under Prime Minister Gram Sadak Yojana (PMGYS) and not meeting the target of connecting all habitations with population of 250 or more by road.

The department took up construction of 25 roads at a cost of Rs 38.17 crore without clearance under the Forest Conservation Act (FCA) and six roads on which an expenditure of Rs 7.64 crore had been incurred, had to be closed (between February 2006 and May 2012).

The construction of the remaining 19 road works was completed (between January 2009 and June 2013) with an expenditure of Rs 23.12 crore. However, these roads were also reported for violation of the FCA and the forest clearance from Government of India (GOI) had not been received as on July 2015, the CAG pointed out in its report for year ending March 2015.

The CAG noted that as per the PMGSY guidelines, the roads were stipulated to be completed within two years but due to involvement of private land and forest lands, 27 roads sanctioned by the GOI during 2005-10 at a cost of Rs 68.22 crore were held up. The department incurred an expenditure of Rs 21.88 crore on these roads up to July 2015 but the work was suspended and the expenditure became unfruitful.

> "Twenty-seven roads sanctioned by the Centre during 2005-10 at ₹68.22 crore were held up due to involvement of private and forest lands. The department incurred an expenditure of ₹21.88 crore on these roads up to July 2015 but the work was suspended and the expenditure became unfruitful." CAG report

As per directions issued in June 2008, Executive Engineers were required to get the completed roads passed by the Road Fitness Committees (RFCs) within one month but it was noticed that in 15 divisions 1, 117 road works (length: kms 523.145) completed (between February 2006 and December 2014) after incurring an expenditure of Rs 116.80 crore had not been passed by the RFCs for vehicular traffic.

The report said that in the absence of a long-term master plan with clear milestones and timeliness for providing all-weather roads to all the habitations with population of 250 or more could not be achieved and 1093 eligible habitations under the programme remained unconnected by road.

The available funds under the programme during 2010-14 ranging between Rs 99.78 crore and Rs 314.44 crore remained unutilized which indicated lack of financial control, the report said.

The Tribune 13 April 2016

Financial lapses cost state ₹273 cr: CAG

Audit report says out of ₹291.79 crore tax, the state government could recover only ₹18.89 crore

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, APRIL 12

The Comptroller and Auditor General (CAG) has detected serious financial lapses that caused a revenue loss of about Rs 273 crore to the state as on March 2015.

The excise and taxation, transport, revenue and forest departments resorted to under assessment of tax, giving undue favour to cement companies, liquor vends, commercial vehicle owners and others in 789 cases, reveal a CAG report.

The financial lapses came to light here today after Principal Accountant General (Audit) Ram Mohan Johri presented the audit report on the revenue sector for 2015 at an interaction with the media.

Out of Rs 291.78 crore tax due in 798 cases, the state could recover Rs 18.89 crore in 632 cases - Rs 13.38 crore in 586 cases previous year, revealed the CAG.

The department failed to impose penalty for late or non-filing of returns of Rs 38.56 crore from dealers under assessment of VAT, leave alone recovery of the penalty, the auditors found. The reason was that the department was not maintaining register and data bank of returns, he revealed.

CAG for strict action

Principal Accountant General (Audit) **Ram Mohan Johri** said the state government should take serious action on the audit findings. Public account committees should act in this regard to bring about transparency in the system, he added.

Cement firms evaded ₹60 cr tax

- **Ambuja Cement**, Darlaghat, and **JP Cement**, Bagha, evaded additional goods tax of Rs 59.90 crore between April 2012 and March 2014. The companies transported 1,86,58,437 metric tonnes (MT) of limestone and 21,33,544 MT shale to cement plants, found the CAG.
- When the CAG asked the Excise and Taxation Department to explain the lapse, it received no reply. Neither the cement companies paid Rs 59.90 crore, nor the amount was demanded by the department, said the report.

₹209 cr not recovered from Jaiprakash Industries

- The CAG has indicted the state government for not imposing a levy of Rs 209.28 crore on Jaiprakash Industries for increasing the power capacity of the Karcham-Wangtoo power project on the Sutlej in Kinnaur from 1000 mw to 1200 mw. It is about 20 per cent more than the rated output for which the company had got the techno-economic clearance in March 2003.
- Though Jaiprakash Industries has sold the project to JSW company last year, CAG auditors asserted that the overdue levy of Rs 209.28 crore could be recovered from the buyer.
- The auditors in its 2015 report discovered that in 2011 Central Electricity Authority (CEA) had brought to the notice of the state government that the Jaiprakash Industries has designed four turbines worth 300 mw each rather than the sanctioned 250 mw capacity, enhancing its capacity from 1000 mw to 1200 mw.
- Despite the fact that the company did not seek the state government approval, the power department neither levied charges of Rs 60 crore, nor imposed the additional free power royalty of Rs 77.73 crore for 2011-15.

Assessment at lower rate

The CAG found that the Excise and Taxation Department in 22 cases assessed tax on the sales of Rs 183.31 crore at the rate of 4 or 5 per cent instead of correct rates of 12.98 or 13.75 per cent.

The state exchequer suffered a loss of Rs 1.94 crore, besides leviable interest of Rs 1.58 crore due to the incorrect rate of interest charged in these cases, the report found.

The department also made under-assessment of gross taxable turnover of Rs 43.88 crore that resulted in a short levy of tax of Rs 3.94 crore, the audit report said.

Fee not recovered

The assistant excise and taxation commissioners did not recover additional fee for short lifting of 16,17,994 proof litres of liquor during 2013-14 by 723 vends. It resulted in the short recovery of additional fee of Rs 3.24 crore out of which just Rs 58.28 lakh was recovered after the audit, said the report.

Not only this, the department could recover a licence fee of Rs 12.83 crore out of Rs 17.25 crore due from 28 vends in 2013-14. It resulted in the short recovery of fee worth Rs 4.42 crore and interest on this of Rs 46.81 lakh, the CAG said.

Good tax evaded

Since the owners of 1,261 commercial vehicles did not register with the department, they evaded passenger and good tax amounting to Rs 89.07 lakh because there was no coordination between the registering licensing authorities and RTOs.

The Revenue Department could not recover the lease money of Rs 12.47 crore in four cases audited by the CAG.

The rate was not fixed and revised as per the market value of land. In another three more cases, audit found that department could not recover lease rent of Rs 4.24 crore from them.

State gets ₹838 cr for education

BHANU P LOHUMI

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, APRIL 12

An all-time high allocation of Rs 838 crore has been made for Himachal under the Sarv Shiksha Abhiyan (SSA) and the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) for 2016-17, an increase of Rs 173 crore over last year.

The Project Approval Board (PAB) of the RMSA and SSA at its meeting allocated Rs 428 crore under the SSA and Rs 410 crore under the RMSA for improvement, increasing learning levels, innovations and ICT with thrust on practical training and scientific modes of learning.

The project cost will be shared by the Centre and the state government in the ratio 90:10.

The state government had sent proposals of Rs 1471crore but the PAB sanctioned Rs 838 crore, keeping in view the last year allocation and expenditure incurred under various components.

Programmes such as Prayas, Prerna and Udaan were launched in Bilaspur, Hamirpur and Mandi districts with focus on making the subject interesting and easily comprehensible.

"Under Prayas, innovative practices are used to create interest of the students of Class VI to VIII in science and mathematics. Practical education is being imparted to students and the models made by them are exhibited at the panchayat level while under the Prerna project in Hamirpur, the student's ability on reading writing and numeric has been enhanced by 13 per cent to 40 percent", said Project Director, Ghanshyam.

To improve the skills of teachers, training will be imparted on a cluster basis and online training has also been proposed. Computer education will be started in 317 schools upgraded last year and Information and Communication Technology (ICT) labs will be set up in these schools while vocational education be introduced from Class IX.

Vocational education is being imparted in 500 schools and the HRD Ministry has sanctioned vocational education in 473 more schools, increasing the total number to 973.

The Tribune 14 April 2016

Shimla, April 14

Himachal Pradesh has been able to tap only about 10 per cent of its solar power potential, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) has said.

Against an estimated solar power potential of 33,000 MW, only 3.29 MW was installed till March 2015, the CAG report said.

The state-run Himachal Pradesh Energy Development Agency failed to estimate the total solar potential, it said.

With the financial assistance of the union ministry of new and renewable energy, the Agency had installed solar observatories in Solan and Palampur towns in June 2014 for measurement of solar potential, but that remained an unfinished job until August last year.

The National Institute of Solar Energy had assessed Himachal Pradesh's solar power potential to be 33,000 MW, said the national auditor.

Also in this section

Conserve every drop of water: Virbhadra

Govt, NGOs sabotaging culling of monkeys: CPM

Virbhadra flags off seven fire tenders

HPPSC finalises draft of syllabus for HAS exams

Now, Prerna scheme in all districts

It noticed that the Agency had installed 956 light emitting diode (LED) type SPV street lights at a cost of Rs.1.59 crore in 2009-10 through firm Ritika Systems Private Ltd in 10 districts.

A total of 426 LED lighting systems have not been functioning since November 2014. The Agency has not taken any action for making the systems functional till May 2015 in spite of the fact that a comprehensive maintenance contract was signed with Ritika, said the report.

The CAG also picks holes in the distribution of solar lanterns in the tribal areas of the state.

The Agency had distributed 417 solar lanterns in Chango, Shelkhar and Sumra villages of Kinnaur district in October 2011.

Audit noticed that 596 solar lanterns were again distributed in June 2014 to 417 families of the same villages.

Inspection showed that 393 lanterns costing Rs 10.32 lakh distributed among the villagers were not put to use as they were using the lanterns already provided to them earlier.

There was delay of 20 months by the Agency in commissioning the ministry of new and renewable energy's solar photovoltaic power plant of 200 KW at Baru Sahib in Sirmaur district. The plant worth Rs.5.40 crore was completed in May 2011.

The CAG in its report observed that the Agency has not conducted a comprehensive survey for assessing wind power potential during 2012-15.

It has also not fixed any targets for wind power for 2012-15. Wind plant of 0.01 MW capacity has been installed in the state at Pooh in Kinnaur district in March 2008 by Garrison Engineers.

The turbine generated only 1,315 units of power till January 2010 and thereafter the system had stopped functioning.

Non-functioning of the power plant has rendered the expenditure of Rs.41.30 lakh as unfruitful, said the CAG.

Official sources told IANS that in March the central government approved the state's master plans for development of Shimla and Hamirpur as solar cities.

The ministry of new and renewable energy has also sanctioned 15 kWp (Kilowatt peak) solar power plant to be installed at Panchayat Bhawan and 20 kWp plants each at The Ridge and at the old bus stand in Shimla. —IANS

The Tribune 15 April 2016

Power agencies fail to recover dues from firms, says CAG

KULDEEP CHAUHAN
TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, APRIL 14

The Directorate of Energy and the state electricity board are giving a free hand to small independent power producers (IPPs) that cost the state Rs 42.52 crore.

They have failed to recover Rs 27.17 crore royalty and surcharge due from these firms in 2014-15 and the Rs 7.80 crore upfront premium from four firms. Besides this, the state suffered a loss of Rs 7.55 crore as it failed to supply 28.5 million units generated from 2012-15 due to lack of transmission line.

The directorate had not even raised a separate claim for free power and royalty from these IPPs for 2012-13 and 2013-14 to the HPSEBL, revealed the Comptroller and Auditot General (CAG) report 2015.

"We could not ascertain the amount liable to be paid by the IPPs to the state for these two years that would have increased the total loss much more than Rs 27.17 crore due for one year alone," said auditors.

The state also suffered an additional loss of Rs 7.55 crore because the government-run bodies failed to evacuate 28.5 million units of electricity generated by four small IPPs - Bas Kund, Iqu-1, Neugal and Kurtha projects - in 2012-13.

The power board, which suffered a loss worth Rs 6.65 crore, and the directorate, which suffered a loss of Rs 0.90 crore on account of this, blamed the HP Power Transmission Corporation (HPPTCL) for the Rs 7.55 crore loss. But the auditors found that it was the state government which had to set up the transmission lines to evacuate power for the small IPPs.

When the CAG quizzed the Director of energy and HPSEBL on these lapses, they failed to furnish reasons for the non-recovery of an outstanding amount from IPPs, said the auditors.

Power shocks

- The state suffered a loss of ₹42.52 cr
- Power agencies have failed to recover ₹27.17 cr royalty and surcharge from these firms in 2014-15 and ₹7.80 cr upfront premium from four firms
- The state suffered a loss of ₹7.55 crore as it failed to supply 28.5 million units

The Tribune 18 April 2016

CAG raps Forest Corporation for huge losses

KULDEEP CHAUHAN

SHIMLA, APRIL 17

The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has come down heavily on the state Forest Corporation for its souring losses.

"The main reason for this is the presence of a cartel in timber sale and the under-grading of timber that cost the state a revenue loss of Rs 89. 64 crore up to March, 2015," the auditors stated.

CAG report has not only exposed a cartel in the sale of timber costing the corporation Rs 18 crore, but the auditors unearthed a scam of devaluing the timber-A that results in loss worth Rs 71.64 crore, raising serious concerns about the functioning of the corporation.

"Because of the cartelisation of sale of timber, devaluation of class-A timber and its failure to achieve targets in producing resin and other products, the losses of the forest corporation have mounted from Rs 31.66 crore in 2010-11 to Rs 52.75 crore in 2014-15," revealed the CAG report.

The corporation has lost an additional revenue of Rs 18 crore from the sale of 18,338, 768 cubic metre of deodar timber in the last five years.

"It constitutes about 8.62 per cent of the total volume and even if margin of 50 per cent is allowed, the corporation would have earned that amount," the audit found. Even the auditors smelt a rat in timber gradation as just 0.5 per cent is graded as class-A timber while grade B accounts for over 99.4 per cent at the corporation-run sale deports during the period from 2010-2015. "Ironically, the retail sale deports are selling mostly A-grade timber despite the fact that no timber is imported from outside the state," CAG found.

No gains

The corporation has lost an additional revenue of ₹18 crore from the sale of 18,338, 768 cubic metre of deodar timber in the last five years

"The corporation follows no one-line tender and competent bidders and auctions are limited," revealed the auditors. The auditors have nailed the forest corporation for violating the guidelines, by taking over the "uneconomical lots and paying royalty and conversion fee on even rotten trees in the remote areas". This has resulted in an unavoidable loss of Rs 1.52 crore. The corporation has come under the scanner for supplying fuel wood worth Rs 12.01 crore. This has resulted in the interest loss worth Rs 2.04 crore.

The corporation has shown no interest in recovering Rs 4.82 crore in 77 cases, one single case worth Rs 1.18 crore, pending for arbitration before its managing director since 2006.

The corporation is not serious about achieving its target of extracting resin. It had set a target of extracting 2.78 lakh quintals and extracted 2.55 lakh quintals, resulting in shortage of about 9.60 per cent resin worth Rs 11.99 crore ending March 2015, the report found.

Hindustan Times 13 April 2016

13 Apr 2016 | Chandigarh | HTC

Two cement firms in Himachal evaded tax: CAG

Zoom | Bookmark | Share | Print | Listen | Translate

SHIMLA: Two major cement companies in Himachal Pradesh have evaded goods tax of over `59 crore, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) has said. Audit scrutiny of records showed that Ambuja Cement at Darlaghat and J P Cement Himachal Plant at Bagha had evaded additional goods tax, a CAG report said. It said the companies transported 1,66,58,437 metric tonnes (MT) of limestone and 21,33,544 MT of shale from mining areas to cement plants for manufacturing cement and clinker between April 2012 and March 2014. Ambuja Cement and J P Cement were liable to pay `33.74 crore and `26.16 crore as additional goods tax to the government, said the report that was laid in the assembly this month.

Hindustan Times 13 April 2016

Rural health mission not implemented properly in HP:: CAG

Zoom | Bookmark | Share | Print | Listen | Translate

SHIMLA: Even after ten years, the National Rural Health Mission (NRHM) in the state was not implemented properly.

The finding has been pointed out in the major audit findings of the Comptroller and Auditor General (CAG) for the year ended March 31, 2015 released recently.

The NRHM launched in the state in April 2005 to be met during 2005-2015 had the main objective to provide access to integrated comprehensive primary healthcare, maintain population stabilisation, control gender and demographic imbalances, reduction of infant and material mortality rate and prevention and control of communicable and non-communicable diseases including locally endemic affliction.

The findings reveal that the household surveys and preparation of perspective plan and annual action plans during the 2010-2015 by the health and family welfare department were prepared without considering the needs of the districts, blocks and villages. The identification of the healthcare needs was inadequate as the household survey was not conducted for the month of March 2015.Besides, financial management was also in limbo, as 19 to 47 % of the total available funds remained unutilised with the mission director during 2010-2015.

Against the Indian Public Health standards norms for posting of 3,390 doctors in the state, 1,213 posts were sanctioned and 1,059 (31 %) were in position as of March 2015. Similarly as against the requirement of 6,195 health workers for health sub centres only 3,032 (49 %) were in position.

The immunisation during 201015, the percent achievement of targets of primary and secondary immunisation of children for BCG, measles, DPT, Hepatitis B and TT ranged between 42 and 114, 66 and 95 respectively.

Economic Times 14 April 2016

Less than 10 percent solar power tapped in Himachal Pradesh: CAG

By IANS | 14 Apr, 2016, 02.00PM IST Post a Comment

READ MORE ON » Solar power | solar energy | India | Himachal Pradesh | CAG

SHIMLA: Himachal Pradesh has been able to tap only about 10 percent of its solar power potential, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) has said.

The National Institute of Solar Energy had assessed Himachal Pradesh's solar power potential to be 33,000 MW, said the national auditor.

Against an estimated solar power potential of 33,000 MW, only 3.29 MW was installed till March 2015, the CAG report said.

The state-run Himachal Pradesh Energy Development Agency failed to estimate the total solar potential, it said.

ET SPECIAL: Love visual aspect of news? Enjoy this exclusive slideshows treat!

With the financial assistance of the union ministry of new and renewable energy, the Agency had installed solar observatories in Solan and Palampur towns in June 2014 for measurement of solar potential, but that remained an unfinished job until August last year.

The National Institute of Solar Energy had assessed Himachal Pradesh's solar power potential to be 33,000 MW, said the national auditor.

It noticed that the Agency had installed 956 light emitting diode (LED) type SPV street lights at a cost of Rs.1.59 crore in 2009-10 through firm Ritika Systems Private Ltd in 10 districts.

A total of 426 LED lighting systems have not been functioning since November 2014. The Agency has not taken any action for making the systems functional till May 2015 in spite of the fact that a comprehensive maintenance contract was signed with Ritika, said the report.

The CAG also picks holes in the distribution of solar lanterns in the tribal areas of the state.

The Agency had distributed 417 solar lanterns in Chango, Shelkhar and Sumra villages of Kinnaur district in October 2011.

Audit noticed that 596 solar lanterns were again distributed in June 2014 to 417 families of the same villages.

Inspection showed that 393 lanterns costing Rs.10.32 lakh distributed among the villagers were not put to use as they were using the lanterns already provided to them earlier.

There was delay of 20 months by the Agency in commissioning the ministry of new and renewable energy's solar photovoltaic power plant of 200 KW at Baru Sahib in Sirmaur district. The plant worth Rs.5.40 crore was completed in May 2011.

The CAG in its report observed that the Agency has not conducted a comprehensive survey for assessing wind power potential during 2012-15.

It has also not fixed any targets for wind power for 2012-15. Wind plant of 0.01 MW capacity has been installed in the state at Pooh in Kinnaur district in March 2008 by Garrison Engineers.

The turbine generated only 1,315 units of power till January 2010 and thereafter the system had stopped functioning.

Non-functioning of the power plant has rendered the expenditure of Rs.41.30 lakh as unfruitful, said the CAG.

Official sources told IANS that in March the central government approved the state's master plans for development of Shimla and Hamirpur as solar cities.

The ministry of new and renewable energy has also sanctioned 15 kWp (Kilowatt peak) solar power plant to be installed at Panchayat Bhawan and 20 kWp plants each at The Ridge and at the old bus stand in Shimla.